BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
OA 180/2024

IN THE MATTER OF:

DANISH KHAN ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF M.P.& Ors. ....RESPONDENT

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Factual &Action Taken Report of Joint Committee in compliance to the Hon'ble NGT order dated 05/09/2024 in the matter of OA 180/2024 (CZ) Danish Khan V/s State of M.P.& Ors.		01-07
2.	The Photographs taken during inspection and Google Maps	**Annexure- 1**	08-10
3.	The copy of letter sent to T&CP District office Bhopal vide letter no. 2397 dated 14/10/2024.	**Annexure- 2**	11
4.	T&CP vide letter no. 1766 dated15/10/2024 provided the informationrecieved from Forest Department	**Annexure- 3**	12-36
5.	The copy of wetlands rules 2017	**Annexure- 4**	37-50

Date: 16.10.2024 **Submitted by MPPCB:-**

Place: Bhopal **through Counsel**

Parul

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT

Ref: Factual &Action Taken Report of Joint Committee in compliance to the Hon'ble NGT order dated 05/09/2024 in the matter of OA 180/2024 (CZ) Danish Khan V/s State of M.P.& Ors.: -

Hon'ble NGT issued following instructions on dated 05/09/2024in the matter of OA 180/2024 (CZ) Danish Khan V/s State of M.P. & Ors.: -

"*1. Issue raised in this application is tree cutting and illegal occupation and construction of Building on Khasra no.92/3, area 0.0540 hectare, Gram Koh-e-Fiza, Patwari, Halka NO. 81, Tehsil Huzur, District Bhopal, which falls in green belt area of upper lake and also falls within 50 meters buffer around full tank limit of Bhoj Wetland.*

2. It is further contended that the private respondent has obtained the building permission certificate for constructing building over the said land from respondent under the pretext of breaking/altering the prior constructed building on the said land since 1973. However, no such prior constructed building was found on the said land when the satellite imagery of said land of year 2010 has been obtained by the applicant and also no such prior construction building is found on such land by Bhopal Municipal Corporation in year 2016 when the corporation was doing the work of beautification of VIP Road. It is further submitted that construction raised by the respondents are in violation of Master Plan, Bhopal Development Plan 2005, Bhopal Municipal Corporation Building Plan 2005.

3. Respondent no. 7 is not a proper and necessary party, thus the name of the respondent no. 7 is deleted.

4. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.

5. *Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.*

6. *Respondents are directed to submit their reply/counter affidavit through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the next date of listing.*

7. *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:*

   (i) One Representative from the Collector, Bhopal (M.P.)

   (ii) One Representative from the Town and Country Planning Department, Through Commissioner, Director, Paryavaran Parisar, Bhopal

   (iii) One Representative from the State Wetland Authority through Member Secretary, EPCO.

   (iv) One Representative from the Member Secretary State Pollution Control Board, (M.P.)

8. *The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

In compliance to the order of Hon'ble NGT dated 05/09/2024, a joint committee consisting of the following officials of the concerned department has been constituted: -

S. No	Name of Department	Name of Committee Member
1.	One Representative from the Collector, Bhopal (M.P.)	Shri Aditya Jain, SDM (Bairagarh), Bhopal.

2.	One Representative from the Town and Country Planning Department, Through Commissioner, Director, Paryavaran Parisar, Bhopal	Shri Hariom Maheshwari, Assistant Director, Town and Country Planning Department, Bhopal.
3.	One Representative from the State Wetland Authority through Member Secretary, EPCO.	Dr. Dinesh Damde, Assistant Scientific Officer, MP State Wetland Authority, EPCO Bhopal.
4.	One Representative from the Member Secretary State Pollution Control Board, (M.P.)	Shri Brajesh Sharma, Regional Officer, RO, MPPCB, Bhopal

1. The committee reviewed the petition and the points related mentioned in the petition are discussed to proceed for the inspection and data collection. The points raised by the applicant in his application are as under: -

1.1. According to the petition, respondent no. 8 is involved in tree cutting and illegal occupation and construction of building on Khasra no. 92/3, Area 0.0540 hectare, Village-Kohefiza, Tehsil-Huzur,District-Bhopal which falls in green belt area of upper lake and also falls within 50-meter buffer around full tank limit of Bhoj wetland.

1.2. It is alleged that respondent no. 8 has started illegal construction of building over the said land by obtaining building certificate from TNCP under the pretext of breaking / altering the prior constructed building on the said land since 1973. However, no such prior constructed building was found on the said land when the satellite imagery of said land of year 2010 has been obtained by the applicant and also no such prior construction building is found on such land by Bhopal Municipal Corporation in year 2016 when the corporation was doing the work of beautification of VIP Road.

1.3. According to the petition, construction raised by the respondent no. 8is in violation of Master Plan, Bhopal Development Plan 2005, as per Bhopal Development Plan 2005, the said land is reserved for tree plantation

purpose in year 2005 as the said land is very near to the upper lake, falls in the green belt area.

1.4. It is alleged that respondent no.8has caused damage to 60- year old Karbala Filter Water pipeline passing through the said land. And according to the Bhopal Municipal Corporation rules, no construction of building or house shall take place near or below high tension wires and municipal water pipeline.

The joint committee members discussed the above points of the petition and identified that the main issue are as follows: -

a. The construction of permanent nature structure within the 50 meters distance from the Full Tank Level (FTL) of Upper Lake (Ramsar Site)
b. Cutting of trees within the site as mentioned in the petition i.e. on Khasra no.92/3, Gram Koh-e-Fiza, Patwari, Halka NO. 81, Tehsil Huzur, District Bhopal.

2. FIELD OBSERVATION:

Joint committee conducted a site visit of khasra no. 92/3 situated in Village-Kohefiza, Tehsil-Huzur, District-Bhopal on dated 09/10/2024. During site visit, apart from the Joint Committee members following officials, Ms. Prakamya Tiwari, AE, RO, MPPCB, Bhopal, Shri Firoz Ali, Revenue Inspector, Ms. Meenu Goswami, Patwari, Halka 81, Village- Kohefiza, Tehsil – Huzur, District Bhopal were present during inspection. The Advocate of petitioner Shri Arpit Saxsena (Mob No.- 7777888844) was informed of the visit via phone call. The petitioner Danish Khan and the representative of the mentioned site Shri Touheed Qureshi were also present during the inspection. The Photographs and Google Maps are enclosed as **Annexure- I.** The Geographical locations, photographs and visual observations were recorded during inspection and the observations are as under: -

2.1. The petitioner Shri Danish Khan showed the site and the site is located at Village-Kohefiza, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, Madhya Pradesh.

2.2. The geographical location of the site is latitude 23° 15' 35.09" N and longitude 77° 22' 56.75" E.

2.3. A road connecting the VIP road and Sultania Road is passing from the west side of the site. The Upper lake is located on North side of the site.

2.4. The site is covered with a RCC boundary wall of approximately 5 feet height all around with a metal sheet entry gate opening towards the road.

2.5. An under construction building structure with column and slab of two storied was found constructed at the site. The no construction activities were observed during inspection.

2.6. No construction machinery and construction material was found stored within the site.

2.7. The site is surrounded with plantation from three sides. A high tension line is passing across the site parallel to North- South direction and near the East side of the site.

2.8. The slope of the land is towards upper lake from said building.

2.9. No evidence of cutting of trees are observed during inspection.

2.10. Using the Google Earth Pro computer application, the minimum distance from the north face of the site mentioned in the petition to the nearest boundary of Upper lake is coming out to be approximately 65 Meters.

3. INFORMATION PROVIDED BY TOWN & COUNTRY PLANNING DISTRICT OFFICE BHOPAL:

3.1. In references to the petition, information was sought from the T&CP District office Bhopal vide letter no. 2397 dated 14/10/2024. The copy of letter is enclosed as **Annexure– II**. T&CP vide letter no. 1766 dated 15/10/2024 has provided the information. The copy of letter is enclosed as **Annexure-III**. The main points of the letter are mentioned as under: -

3.1.1. The land in question is located on Khasra number 92/3, Village Koh-E-Fiza having total area of 0.054 hectares.

3.1.2. The land use of land in question as per currently effective Bhopal Development Plan 2005 is Road and Afforestation.

3.1.3. As per the office records, no development permission has been granted by T&CP District office Bhopal for the land in question.

3.1.4. Registry provided by the applicant, registered on 30/07/1999 mentions that a covered area of 400 square feet and open area of 1580

square feet has been constructed on the land in question since the year 1973.

3.1.5. The first Development Plan of Bhopal city (BDP 1991) was made effective on 14/11/1975.

3.1.6. Chapter 4, Clause 4.7 of the Bhopal Development Plan 2005, which has been effective since 09/06/1995, states: "Approval granted to layout plans, by the competent authority under either MP Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 or recommended for diversion u/s 172 of MPLRC by Deputy Director, Town & Country Planning, Bhopal Division and if its validity still holds good on the day of publication of this Development Plan, shall be deemed to have been approved in conformity with the development plan proposal."

3.1.7. Shri Sanjay Jain, Father Late Shri Jinesh Kumar Jain, resident of E-3/94, Arera Colony, Bhopal, was informed in reference to his application dated 17/05/2019 through office letter no. 2887/BPLLP/5582 dated 9/12/2019 that "Since the nature of the case involves demolition/alteration of an already constructed building, you can apply for building permission directly to Municipal Corporation Bhopal as per rules".

3.1.8. Under the provisions of the M.P. Nagar Palik Adhiniyam, 1956 and M.P. Bhumi Vikas Niyam, 2012 granting of building permission is under the jurisdiction of Municipal Corporation Bhopal.

4. WETLANDS (CONSERVATION & MANAGEMENT) RULES, 2017:

4.1. Bhoj Wetland (Upper and Lower lakes) is the wetland designated as Ramsar Site of MP since 2002. Bhoj Wetland being a Ramsar Site, Wetland Rules 2017 is applicable as per Wetlands Rule 3 (a).

4.2. According to section 4 (2) (vi(of the Wetland Rules 2017, any construction of permanent nature is prohibited within a distance of 50 meters from the FTL. The copy of wetlands rules 2017 is enclosed as **Annexure-IV**.

5. COMMENTS OF THE JOINT COMMITTEE:

5.1. Committee observed that the site is located away from the 50 meters of the restricted buffer area of Upper lake as Ramsar Site in which any structure of permanent nature is restricted.

5.2. The evidence of cutting of trees is not observed within the site.

5.3. The building permission is issued by Bhopal Municipal Corporation vide letter dated 08/07/2022.

5.4. Town, Country & Planning Department has not issued building permission. The land use of land in question as per Bhopal Development Plan 2005 is Road and Afforestation.

16/10/2024

Aditya Jain,
SDM (Bairagarh),
Bhopal.

Brajesh Sharma,
Regional Officer,
MPPCB, Bhopal

16/10/24

Dr. Dinesh Damde,
Assistant Scientific Officer,
MP State Wetland Authority,
EPCO Bhopal

16/10/2024.

Hariom Maheshwari,
Assistant Director,
Town and Country Planning Directorate,
Bhopal.

Inspection Photographs in OA 180/2024
dated 09/10/2024

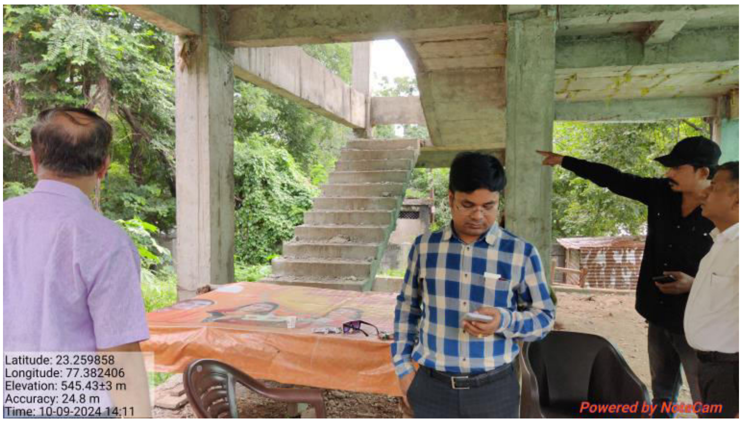

Latitude: 23.259738
Longitude: 77.382379
Altitude: 488.3±3 m
Accuracy: 27.1 m
Time: 10-09-2024 14:21
Powered by NoteCam

Latitude: 23.259789
Longitude: 77.382465
Altitude: 488.4±3 m
Accuracy: 6.6 m
Time: 10-09-2024 14:35
Powered by NoteCam

Latitude: 23.259725
Longitude: 77.382479
Elevation: 545.43±3 m
Accuracy: 12.0 m
Time: 10-09-2024 14:14
Powered by NoteCam

Google Earth Map in OA 180/2024

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर,ई–5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2397/क्षेका/प्रनिबो/2024 भोपाल, दिनांक 14/10/2024

प्रति,

संयुक्त संचालक,
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग,
पर्यावरण परिसर, ई–05, अरेरा कालोनी
भोपाल (म.प्र.)।

विषय :– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्रमांक 180/2024 (CZ) दानिश खान विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य के संबंध में।**

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. क्रमांक 180/2024 में दिनांक 05.09.2024 को पारित आदेश अनुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, म.प्र. राज्य वेटलैंड अथॉरिटी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं कलेक्टर भोपाल के प्रतिनिधि की संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 09.10.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया।

कृपया प्रकरण के संबंध में आपके विभाग से संबंधित जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 16.10.2024 को नियत है।

(बृजेश शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन, मध्यप्रदेश

"कचनार" ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल–462016
E-mail: Bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक 1766 / बीपीएलएलपी–5445 / एलपी–69 / 29(1) / जिका / 2019 भोपाल,दिनांक 15/10/2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर ई–5 ,अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास,
भोपाल म.प्र.

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्रमांक 180 / 2014(सी.जेझ) दानिश खान विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य के संबंध मे ।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 2397 / क्षेका / प्रनिबो / 2024 भोपाल दिनॉक 14.10.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र मे के साथ संलग्न माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच के प्रकरण क्रमांक 180 / 2014(सी.जेझ) दानिश खान विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य मे उल्लेखित बिन्दुओ की जानकारी कार्यालय मे उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निम्नानुसार है :–

1. प्रश्नाधीन भूमि ग्राम कोहेफिजा खसरा क्रमांक 92 / 3, कुल रकबा 0.054 हेक्टर पर स्थित है ।
2. प्रश्नाधीन भूमि का वर्तमान मे प्रभावशील भोपाल विकास योजना 2005 अनुसार भूमि उपयोग प्रस्तावित मार्ग एवं वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट है।(संलग्न परिशिष्ठ–1)
3. कार्यालयीन अभिलेख अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर इस कार्यालय व्दारा कोई विकास अनुज्ञा जारी नहीं होना पाया गया है ।
4. आवेदक व्दारा उपलब्ध कराई गई रजिस्ट्री जो दिनांक 30 / 07 / 1999 को पंजीकृत हुई है, जिसमें लेखानुसार प्रश्नाधीन भूमि पर 400 वर्गफिट का कवर्ड एरिया तथा 1580 वर्गफिट का खुला एरिया वर्ष 1973 से निर्मित होना उल्लेखनीय है।(संलग्न परिशिष्ठ–2)
5. भोपाल नगर की प्रथम विकास योजना 1991 (BDP-1991)दिनांक 14.11.1975 को प्रभावशील की गई थी ।
6. भोपाल विकास योजना 2005 जो कि दिनांक 9 जुन, 1995 से प्रभावशील है के अध्याय 4 की कंडिका 4.7 में उल्लेखित है कि *"जिन अभिन्यासों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अथवा मध्यप्रदेश राजस्व संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत उप संचालक, भोपाल संभाग, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृति की है एवं उनकी वैध*

समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है, उस दशा में यह माना जवेगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है। (संलग्न परिशिष्ठ–3)

7. श्री संजय जैन पिता स्व.श्री जिनेश कुमार जैन, निवासी ई–3/94, अरेरा कालोनी, भोपाल को उनके आवेदन दिनांक 17/05/2019 के सन्दर्भ मे कार्यालय के पत्र कमांक 2887/बीपीएलएलपी/5582 दिनांक 9/12/2019 के माध्यम से सूचित किया गया था कि, *''प्रकरण का स्वरूप पूर्व से निर्मित भवन को तोडने / उसमे परिवर्तन का होने के कारण आपके व्दारा सीधे नगर निगम भोपाल मे नियमानुसार भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन किया जा सकता है । ''* (संलग्न परिशिष्ठ–4)

8. म.प्र.नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियमो के प्रावधानो के अंतर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान किया जाना नगर पालिक निगम भोपाल के क्षेत्राधिकार मे है ।

संयुक्त संचालक व्दारा अनुमोदित

संलग्न – यथोपरि

(हरिओम माहेश्वरी)
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन म. प्र.

परि. 1

Office of Joint Director
Town and County Planning District Bhopal
Paryavan Parisar, E-5 Arera Colony, Bhopal

File Number BPLLU15443 Date

To :

Dinesh kumar jain and sons
kohefiza
Bhopal

Subject - Land Use information as per Development Plan 2005
Reference - Your application dated 14/09/2018

The proposed Landuse of applied land as per Development plan approved by Govt. is broadly as follows: -

Village	Khasra Number	Khasra Area(Ha.)	Landuse
Koh-e-fiza	92 / 3	0.0540	Proposed Road
		0.0540	Plantation

1 Land use proposal in 2005 Development Plan is broad and indicative in nature. The proposed land wholly or partly may come under another land use after marking of the development plan proposal on Khasra map or implementation, and at the time of applicability of Zonal plan or revised development plan

2 Granting information of land use as per development plan does not mean that the permission has been granted or approval for the same. The applicant shall have to obtain approval from the competent authority as per Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 & M.P. Nagar Palika (colonizer ka registration, nirbandhan tatha sharte) niyam 1998 & other related rules & regulation

3 The information of Land use for applied land includes other relevant uses also which may be decided at the time of granting development permission. Which is enclosed as an annexure with the letter?

4 The land use of whole Khasra is being given as] Aks/Batan has not been provided by the applicant for applied land

5 Diversion of land shall not be done under section 172 of M.P. land revenue code 1959] based on the above information

6 Any discrepancies pertaining to Aks/batan submitted by the applicant and in case of land ownership dispute. The sole responsibility shall lie with the land owner

Signature valid
Digitally signed by [illegible] KUMAR RAI
Date: 2018.09.22 18:27:50 IST

Joint Director
Town and Country Planning
District Bhopal

Note: This is digitally signed certificate,hence manual signature is not required.

परि.-2

1228 1148

"ख"

Rs.15000 15000रु. Rs.15000

दफ्तर .... मुकाम 31

(136) (135)

जिस दिन पेश की गई	दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या मालियत की तादाद या किस्म जो मुन्दर्जा किया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	वाजिब फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के अहलकार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	नसीम उद्दीन विक्री 286000	2498.10	

तारीख .... उप पंजीयक

30 JUL 1999

0JBB 416089

।। दस्तावेज विक्रय पत्र मालयती 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये ।।

।। बाजारू मूल्य 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये ।।

THE SEAL OF ... REGISTRAR OF ... BHOPAL

अदायेगी कीमत	कुल 2,00,000/- (दो लाख) रूपये इस पत्र के पंजीयन के बाद प्राप्त होगें द्वारा चेक नं. 163337 दि. 30.9.99 पंजाब नेशनल बैंक हबीबगंज भोपाल शाखा.		
स्टाम्प ड्यूटी	रूपये	15,000.00	सरकारी स्टाम्प ।
	रूपये	2,000.00	नगर निगम स्टाम्प ।
	रूपये	2,000.00	जनपद पंचायत स्टाम्प ।
	रूपये	531.00	उपकर स्टाम्प ।
	रूपये	19.00	अधिक स्टाम्प ।
	रूपये	19,550.00	कुल स्टाम्प ।

नाम विक्रेता

(1) आबिद नूर खाँ (व्यस्क) आत्मज श्री अहमद नूर खाँ साहब एवं

(2) मोहम्मद ईस्माईल खाँ आयु लगभग 63 वर्ष आत्मज श्री मोहम्मद खाँ साहब निवासीगण मकान नम्बर 33 नियर गिन्नौरी गर्ल्स स्कूल रामफली मस्जिद गिन्नौरी शहर भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा मुख्तार आम नसीम उददीन आयु लगभग 40 साल आत्मज श्री गफूर उद्दीन निवासी गन्दी नाला चटाईपुरा बुधवारा शहर भोपाल मध्यप्रदेश । राष्ट्रीयता भारतीय । मुख्तार नामा आम निष्पादित दिनांक 04.04.97 ई.

नसीम

नाम क्रेता

जिनेश कुमार जैन एण्ड सन्स (एच.यू.एफ.) द्वारा कर्ता श्री जिनेश कुमार जैन (व्यस्क) आत्मज स्वर्गीय श्री पी.के.जैन साहब निवासी मकान नम्बर 59 जोन-2 महाराणा प्रताप नगर भोपाल मध्यप्रदेश । भारतीय ।

निरन्तर....2

(134) 1000Rs.

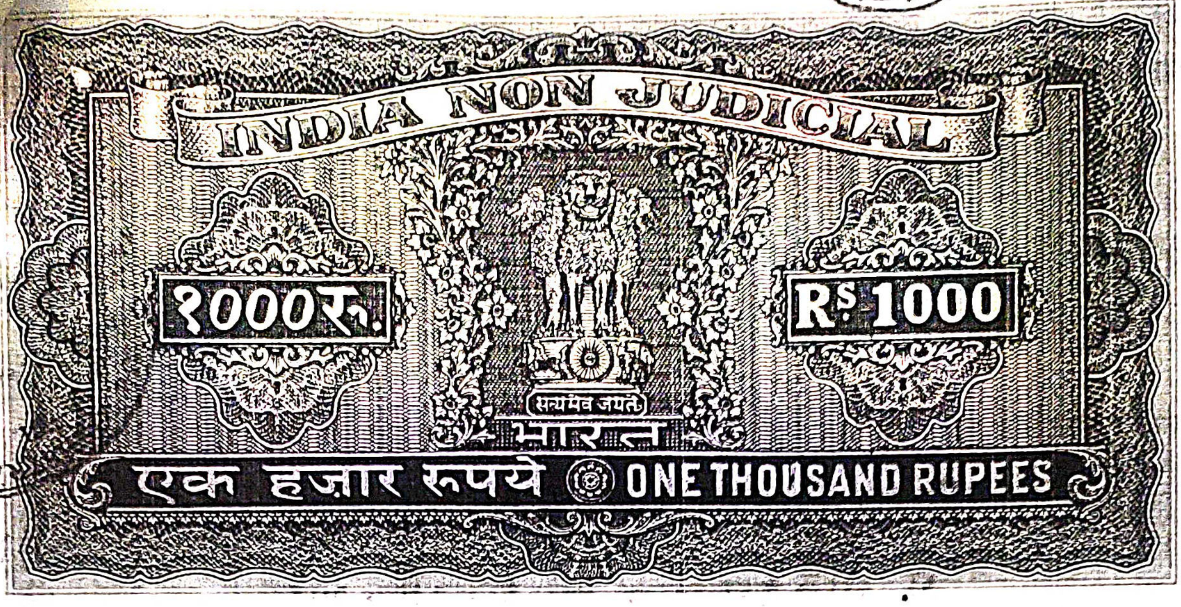

(2)

// सम्पत्ति जो विक्रय की गई //

जो कि एक किता मकान, एक मंजिला, कच्चा, सिफाला पौश ईट, मिट्टी गारे की दीवारों का बमय सहन के काबिले मरम्मत एवं नव निर्माण करने योग्य स्थित मोहल्ला करबला रोड, करबला रोड से अन्दर, शहर भोपाल, जो भोपाल नगर पालिक निगम की सीमाओं के अन्दर वार्ड नम्बर 6 (करबला रोड से अन्दर) शहर भोपाल तथा आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित चौहद्दी का स्थित है कि :-

पूरब में	::	सम्पत्ति विक्रेता की इस विक्रय से अलग ।
पश्चिम में	::	रास्ता आम ।
उत्तर में	::	सम्पत्ति विक्रेता की इस विक्रय से अलग ।
दक्षिण में	::	सम्पत्ति विक्रेता की इस विक्रय से अलग ।

।। नाप ।।

नसीम

पूरब में	::	उत्तर से दक्षिण 33 (तैंतीस) फिट ।
पश्चिम में	::	उत्तर से दक्षिण 33 (तैंतीस) फिट ।
उत्तर में	::	पूरब से पश्चिम 60 (साठ) फिट ।
दक्षिण में	::	पूरब से पश्चिम 60 (साठ) फिट ।

इस प्रकार उपरोक्त विक्रय मकान की कुल नाप 1980 (एक हजार नौ सौ अस्सी) वर्गफिट है जिसमें संलग्न मानचित्रानुसार 400 (चार सौ) वर्गफिट का कवर्ड एरिया तथा 1580 (एक हजार पांच सौ अस्सी) वर्गफिट का खुला (ओपन) एरिया है । यह कि उपरोक्त विक्रय मकान को संलग्न मानचित्र में लाल रंगी की लकीरों से घेर कर दर्शाया गया है जो इस पत्र का एक अंश होगा ।

निरन्तर....3

(133) 1000Rs.

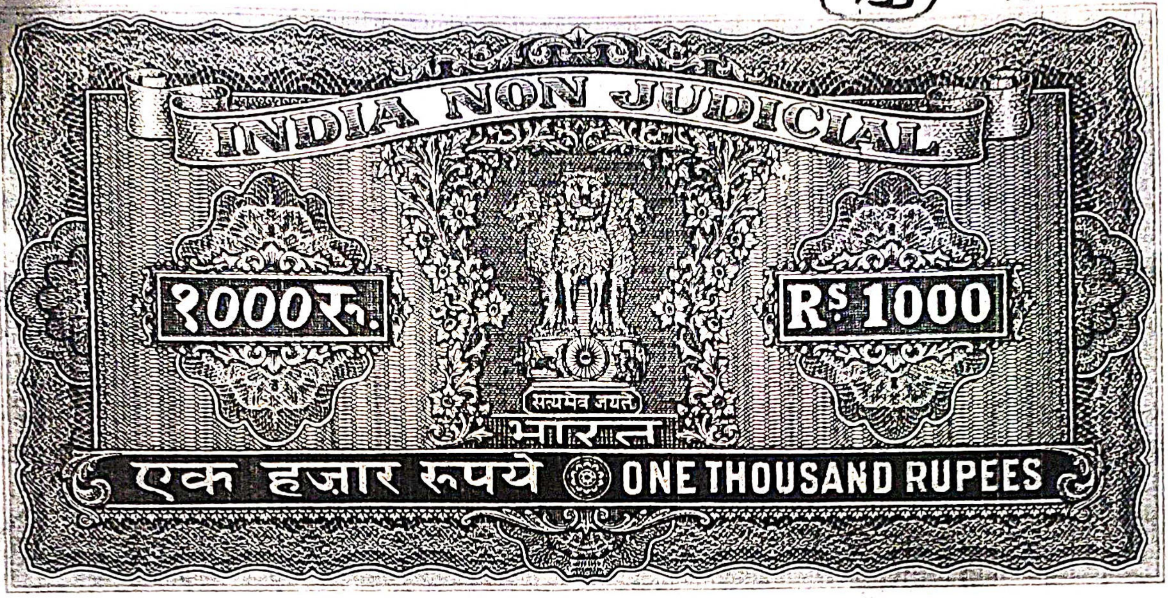

(3)

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान आवासीय है तथा आवासीय क्षेत्र में स्थित है जिस पर कोई सम्पत्ति कर निर्धारित नहीं है विक्रय मकान खसरा नम्बर बानवे के भाग पर लगभग 1973 का बना हुआ है जो शकिस्ता हालत (जीर्ण क्षीर्ण अवस्था) में काबिले मरम्मत एवं नव निर्माण करने योग्य है और उपरोक्त विक्रय मकान करबला रोड, मैन रोड से अन्दर वाके है ।

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान तथा कुल सम्पत्ति विक्रेता ने मेहरताज साजिदा सुल्तान बैगम साहिबा से विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1972 ई. खरीद की है जिसकी एन.ओ.सी. नजूल विभाग से प्रकरण क्रमांक 389/बी-121/82-83 हासिल की जा चुकी है और विक्रय मकान सन 1973 के लगभग का बना हुआ है ।

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान बमय सहन तथा उसके तले की आराजी कुल पैमाईशी 1980 वर्गफिट को इस पत्र में आगे शब्द 'विक्रय सम्पत्ति' से संबोधित किया गया है ।

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान तथा कुल सम्पत्ति के विक्रेतागण मालिक व काबिज व स्वामी हैं जिस पर विक्रेतागण का ही कब्जा व दखल मालकाना चला आता है जो हर प्रकार के मतालबात सरकारी व गैर सरकारी से पाक व साफ है कहीं रेहन, विक्रय, हस्तांतरण, बंधक दानादि नहीं हैं किसी अदालत, पंचायत, दफतर सरकारी व गैर सरकारी में किसी कानूनी असर के तहत वाद ग्रस्त नहीं है किसी के देने मेहर या जमानत आदि में बंधक व लिखी हुई नहीं है जिस पर शासकीय, अशासकीय व अर्द्धशासकीय कोई भी देनदारी नहीं है और विक्रय सम्पत्ति के संबंध में किसी भी कार्यालय , न्यायालय, पंचायत, बैंक, सोसायटी आदि में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी वाद विवाद, दावा या झगड़ा नहीं है और उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर किसी भी बैंक, सोसायटी, संस्था व्यक्ति शासन आदि या वित्तीय संस्था का कोई ऋण व भार

निरन्तर.....4

(132) 1000Rs.

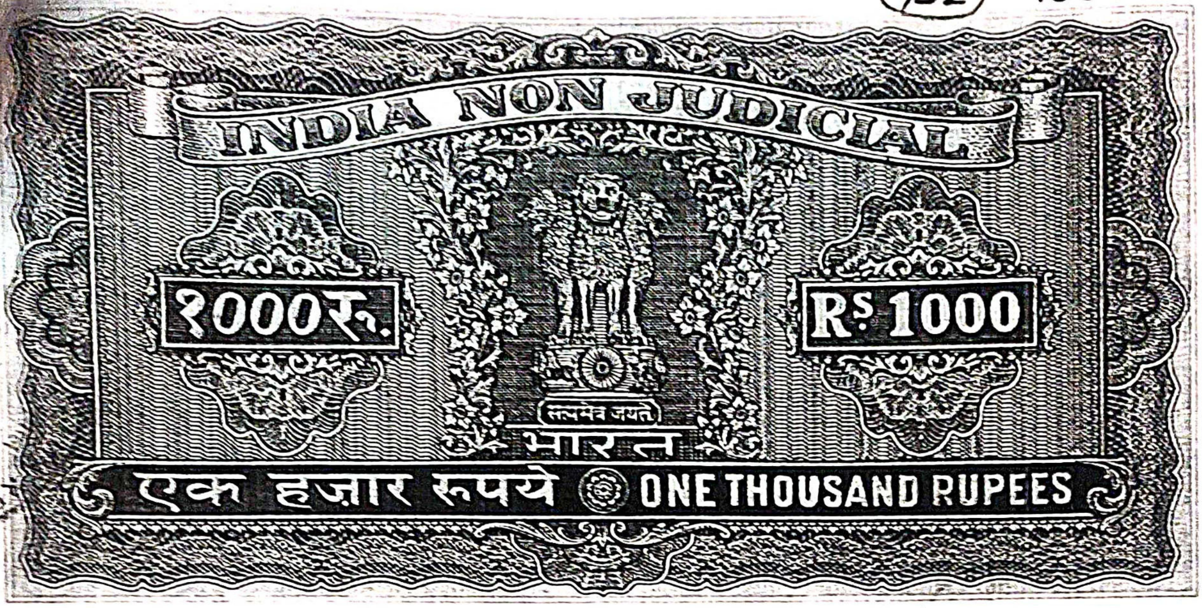

(4)

भी नहीं है यह कि उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति को विक्रेतापक्ष ने किसी रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज या गैर रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज या किसी तहरीर व अनुबंध के जरये किसी को किसी भी तरह से हस्तांतरण व मुंतकल आदि नहीं की है जिसके परिवर्तन एवं हस्तांतरण आदि के सम्पूर्ण अधिकार मुझ हस्ताक्षर कर्ता को बहैसियत मुख्तार आम वास्ते विक्रेता प्राप्त है ।

अब उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति को मुझ हस्ताक्षर कर्ता ने विक्रेता गण के द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के आधार पर उन सभी अधिकारों तथा सुखाधिकारों सहित जो आज तक विक्रेता को प्राप्त थे मुबलिग 2,00,000.00 दो लाख रूपये के बदले क्रेता जिनेश कुमार जैन एण्ड सन्स (एच.यू.एफ.) द्वारा कर्ता श्री जिनेश कुमार जैन आत्मज स्वर्गीय श्री पी.के.जैन साहब निवासी मकान नम्बर 59, जोन-2 महाराणा प्रताप नगर भोपाल को सदैव के लिए सर्वा अधिकार सहित विक्रय कर दी याने बैंच दी और कुल कीमत 2,00,000.00 रूपये पृष्ठ एक पर लिखे अनुसार वसूल पाने के बाद अब कीमत में एक भी पैसा लेना बाकी नहीं रहा ना भविष्य में रहेगा.

यह कि उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर उक्त क्रेता को मौके पर वाकई खाली हालत में कब्जा व दखल मालकाना (पूर्ण स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य) दे दिया है और उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर से विक्रेतागण ने अपना कब्जा व दखल मालकाना हमेशा हमेशा के लिए हटा लिया है । अब आज से उक्त क्रेता उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के मालिक व काबिज व स्वामी हो चुके हैं ।

यह कि अब आज से उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति से विक्रेतागण तथा विक्रेतागण के वारसान, उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, स्थानापन्नों, संबंधियों, संतानों आदि आदि का कोई किसी प्रकार का हित संबंध, वास्ता व सरोकार शेष नहीं रहा ना भविष्य में रहेगा यदि कोई वाद विवाद,

निरन्तर....5

(130)

(6)

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रय पत्र साथ राजी खुशी बिना किसी दबाव के अपने सही होश व हवास में अच्छी तरह से सुन समझकर, लिखाकर, पढ़कर, पंजीबद्ध करा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे । इति दिनांक 30/07/1999 ई.

ड्राफ्टेड बाई मी.

SUBHASH CHAND BADKUL
PUBLIC-NOTARY-ADVOCATE
NEW MARKET, T.T. NAGAR, BHOPAL

हस्ताक्षर..........

नसीमउददीन बहैसियत मुख्तार आम वास्ते आबिदनूर खॉ एवं मोहम्मद ईस्माईल खॉ के.

गवाह : 1
(S.K. Jain)
S/o R.L. Jain
MIG 9/8 ... Complex.

गवाह : 2
Sanjay Jain
S/o J.K. Jain
59 Zone II
M.P. Nagar.

नोट :- पृष्ठ 1 की तीसरी व चौथी पंक्ति में ... किया गया है जो प्रमाणित है।

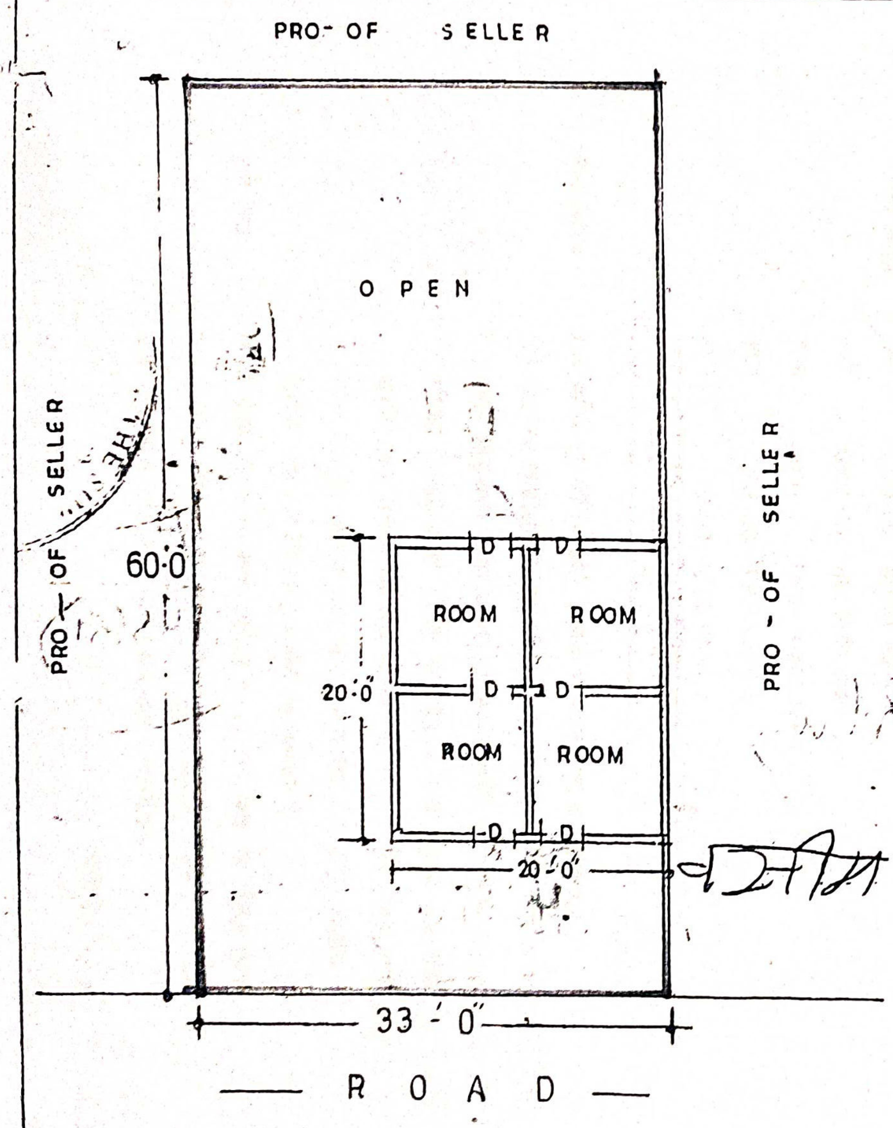

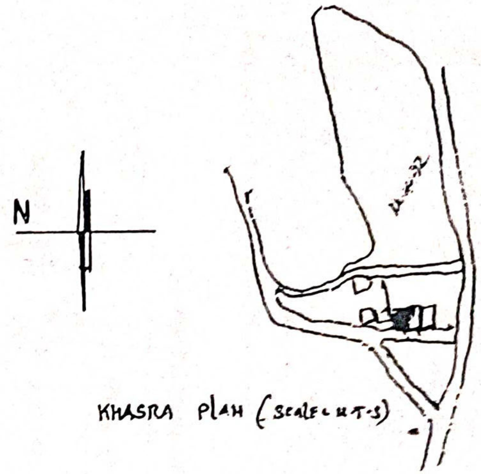

KHASRA PLAN (SCALE N.T.S)

scale 1"=10'FT

PLAN OF THE EXISTING HOUSE SITUATED AT PART OF KH-NO-92, KARBALA ROAD, WARD NO 6, BHOPAL

TOTAL AREA	=	1980·00 SQFT
BUILT UP AREA	=	400·00 " "
OPEN AREA	=	1580·00 " "

SELLER:

1. ABID NOOR KHAN S/O AHMAD NOOR KHAN.
2. MOHD ISMAIL KHAN S/O MOHAMMAD KHAN

R/O 33, NEAR GUNUORI SCHOOL RAMPAL MASJID, BPL

THROUGH G A:

MR NASEEM UDDIN S/O MR. GHAFOOR UDDIN R/O GANDHI NALA BUDHWARA, BHOPAL.

PURCHASER:

JINESH KUMAR JAIN & SONS (H.U.F)

THROUGH (KARTA)

MR. JINESH KUMAR JAIN S/O LATE P K JAIN R/O 59, ZONE-II, M.P NAGAR, BHOPAL

1234 115 "ख" (98)

बस्तर .... बही 2 ... क्रमांक

मुकाम (99) 37

किस को पेश की गई	दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्तावेज की तफसील या किस्म जो मुद्रास्वरूप पिछला दिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	पंजीयन फीस (जिस पर हो वो) वसूल शुदा	रजिस्ट्री के दस्तावेज
1	2	3	4
	नसीम उद्दीन कि. 286000'	2438-20	

तारीख 3 1 JUL 1999 उप पंजीयक

0JBB 4J6090

।। दस्तावेज विक्रय पत्र मालयती 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये ।।

।। बाजारू मूल्य 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये ।।

अदायगी कीमत कुल 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये इस पत्र के पंजीयन के बाद प्राप्त होंगे द्वारा चेक नम्बर 163338 दिनांक 30.09.99 ई. पंजाब नेशनल बैंक हबीबगंज भोपाल शाखा ।

स्टाम्प डियूटी

रूपये	15,000.00	सरकारी स्टाम्प ।
रूपये	2,000.00	नगर निगम स्टाम्प ।
रूपये	2,000.00	जनपद पंचायत स्टाम्प ।
रूपये	531.00	उपकर स्टाम्प ।
रूपये	19.00	अधिक स्टाम्प ।
रूपये	19,550.00	कुल स्टाम्प ।

नाम विक्रेता (1) आबिद नूर खॉं (व्यस्क) आत्मज श्री अहमद नूर खॉं साहब एवं

(2) मोहम्मद ईस्माईल खॉं आयु लगभग 63 वर्ष आत्मज श्री मोहम्मद खॉं साहब निवासीगण मकान नम्बर 33 नियर गिन्नौरी गर्ल्स स्कूल रामफली मस्जिद गिन्नौरी शहर भोपाल मध्यप्रदेश । द्वारा मुख्तार आम नसीम उद्दीन आयु लगभग 40 साल आत्मज श्री गफूर उद्दीन निवासी गन्दी नाला चटाईपुरा बुधवारा शहर भोपाल मध्यप्रदेश । राष्ट्रीयता भारतीय । मुख्तार नामा आम निष्पादित दिनांक 04.04.97 ई.

नसीम

नाम क्रेता जिनेश कुमार जैन एण्ड सन्स (एच.यू.एफ.) द्वारा कर्ता श्री जिनेश कुमार जैन (व्यस्क) आत्मज श्री पी.के.जैन साहब निवासी मकान नम्बर 59, जोन-2 महाराणा प्रताप नगर भोपाल मध्यप्रदेश । भारतीय ।

निरन्तर.....2

(97) 1000Rs.

(2)

सम्पत्ति जो विक्रय की गई :-

जो कि एक किता मकान, एक मंजिला, कच्चा, सिफाला पौश ईट, मिट्टी गारे की दीवारों का बमय सहन के काबिल मरम्मत एवं नव निर्माण करने योग्य स्थित मोहल्ला करबला रोड, करबला रोड से अन्दर, शहर भोपाल जो भोपाल नगर पालिक निगम की सीमाओं के अन्दर वार्ड नम्बर 6 (करबला रोड से अन्दर) शहर भोपाल तथा आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित चौहद्दी का स्थित है कि :-

पूरब में	::	सम्पत्ति विक्रेता की इस विक्रय से अलग ।
पश्चिम में	::	रास्ता आम ।
उत्तर में	::	सम्पत्ति विक्रेता की इस विक्रय से अलग ।
दक्षिण में	::	सम्पत्ति विक्रेता की इस विक्रय से अलग ।

।। नाप ।।

पूरब में	::	उत्तर से दक्षिण 33 (तैंतीस) फिट ।
पश्चिम में	::	उत्तर से दक्षिण 33 (तैंतीस) फिट ।
उत्तर में	::	पूरब से पश्चिम 60 (साठ) फिट ।
दक्षिण में	::	पूरब से पश्चिम 60 (साठ) फिट ।

नसीम

इस प्रकार उपरोक्त विक्रय मकान की कुल नाप 1980 (उन्नीस सौ अस्सी) वर्गफिट है जिसमें संलग्न मानचित्रानुसार 400 (चार सो) वर्गफिट का कवर्ड एरिया तथा 1580 (एक हजार पांचसौ अस्सी) वर्गफिट का खुला (ओपन) एरिया है । यह कि उपरोक्त विक्रय मकान को संलग्न मानचित्र में लाल रंग की लकीरों से घेरकर दर्शाया गया है जो इस पत्र का एक अंश होगा ।

निरन्तर......3

(96) 1000Rs.

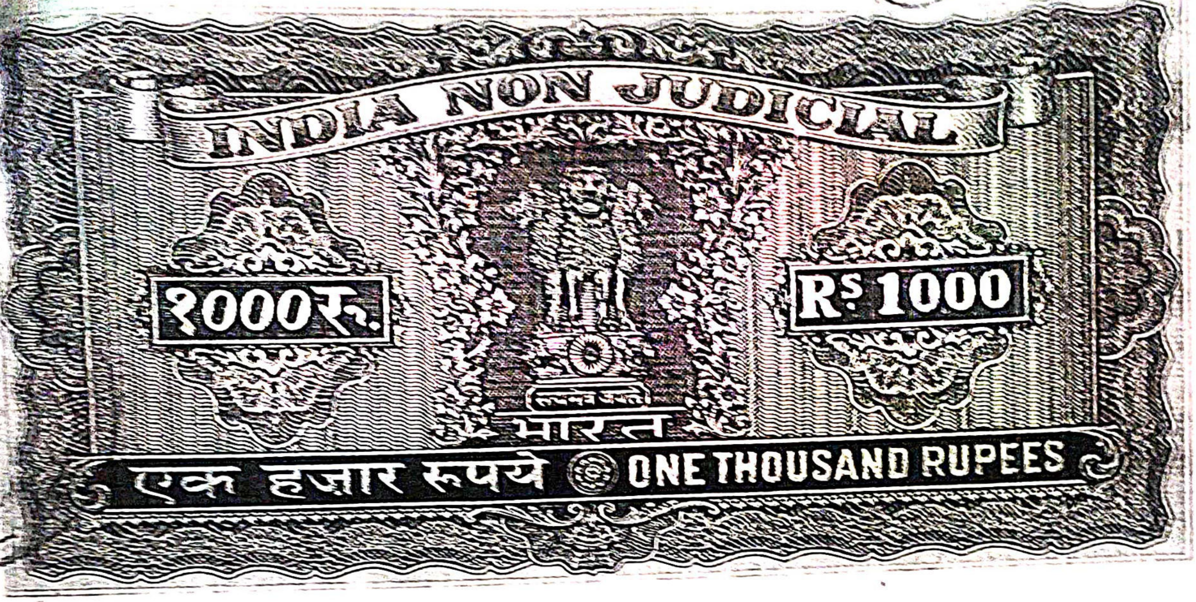

(3)

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान आवासीय है तथा आवासीय क्षेत्र में स्थित है जिस पर कोई सम्पत्ति कर निर्धारित नहीं है विक्रय मकान खसरा नम्बर बांनवे के भाग पर लगभग 1973 का बना हुआ है जो शकिस्ता हालत (जीर्ण, क्षीर्ण अवस्था) में काबिले मरम्मत एवं नव निर्माण करने योग्य है और उपरोक्त विक्रय मकान करबला रोड, मैन रोड से अन्दर वाके है ।

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान तथा कुल सम्पत्ति विक्रेता ने मेहरताज साजिदा सुल्तान बेगम साहिबा से विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1972 ई. खरीद की है जिसकी एन.ओ.सी. नजूल विभाग से प्रकरण क्रमांक 389/बी-121/82-83 हासिल की जा चुकी है और विक्रय मकान सन 1973 के लगभग का बना हुआ है ।

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान मय सहन तथा उसके तले की आराजी कुल पैमाईशी 1980 वर्गफिट को इस पत्र में आगे शब्द "विक्रय सम्पत्ति" से संबोधित किया गया है ।

नसीम

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान तथा कुल सम्पत्ति के विक्रेतागण मालिक व काबिज व स्वामी हैं जिस पर विक्रेतागण का ही कब्जा व दखल मालकाना चला आता है जो हर प्रकार के मतालबात सरकारी व गैर सरकारी से पाक व साफ है कहीं रेहन, विक्रय, हस्तांतरण, बंधक दानादि नहीं है किसी अदालत, पंचायत, दफ्तर सरकारी व गैर सरकारी में किसी कानूनी असर के तहत वाद ग्रस्त नहीं है किसी के देने मेहर या जमानत आदि में बंधक व लिखी हुई नहीं है जिस पर शासकीय, अशासकीय व अर्द्धशासकीय कोई भी देनदारी नहीं है और विक्रय सम्पत्ति के संबंध में किसी भी कार्यालय, न्यायालय, पंचायत, बैंक, सोसायटी आदि में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी वाद विवाद, दावा या झगड़ा नहीं है और उपरोक्त

निरन्तर.....4

(9ʃ-) 1000Rs.

(4)

विक्रय सम्पत्ति पर किसी भी बैंक, सोसायटी, संस्था, व्यक्ति शासन आदि या वित्तीय संस्था का कोई ऋण व भार भी नहीं है यह कि उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति को विक्रेतापक्ष ने किसी रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज या गैर रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज या किसी तहरीर व अनुबंध के जरये किसी को किसी भी तरह से हस्तांतरण व मुंतकल आदि नहीं की है जिसके परिवर्तन एवं हस्तांतरण आदि के सम्पूर्ण अधिकार मुझ हस्ताक्षरकर्ता को बहेसियत मुख्तार आम वास्ते विक्रेता प्राप्त हैं ।

अब उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति को मुझ हस्ताक्षरकर्ता ने विक्रेतागण के द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के आधार पर उन सभी अधिकारों तथा सुखाधिकारों सहित जो आज तक विक्रेता को प्राप्त थे मुबलिग 2,00,000.00 दो लाख रूपये के बदले क्रेता जिनेश कुमार जैन एण्ड सन्स (एच.यू.एफ.) द्वारा कर्ता श्री जिनेश कुमार जैन आत्मज स्वर्गीय श्री पी.के.जैन साहब निवासी मकान नम्बर 59, जोन 2 महाराणा प्रताप नगर भोपाल को सदैव के लिए सर्वा अधिकार सहित विक्रय कर दी याने बैंच दी और कुल कीमत 2,00,000.00 रूपये पुष्ठ एक पर लिखे अनुसार वसूल पाने के बाद अब कीमत में एक भी पैसा लेना बाकी नहीं रहा ना भविष्य में रहेगा ।

नरसीत

यह कि उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर उक्त क्रेता को मौके पर वाकई खाली हालत में कब्जा व दखल मालकाना (पूर्ण स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य) दे दिया है और उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर से विक्रेतागण ने अपना कब्जा व दखल मालकाना हमेशा हमेशा के लिये हटा लिया है । अब आज से उक्त क्रेता उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के मालिक व काबिज व स्वामी हो चुके हैं ।

निरन्तर....5

(95) 1000Rs.

(5)

यह कि अब आज से उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति से विक्रेतागण तथा विक्रेतागण के वारसान, उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, स्थानापन्नों, संबंधियों, संतानों आदि-आदि का कोई किसी प्रकार का हित संबंध वास्ता व सरोकार शेष नहीं रहा या भविष्य में रहेगा यदि कोई वाद विवाद, दावा या झगड़ा मांग मतालबा आदि करे तो वह कतअई गलत व नाजाईज समझा जाये । यह कि उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर आज की तारीख से पहले के जो भी मतालबात, बकायाजात, टैक्सेज सरकारी व गैर सरकारी ऋण व भार व अन्य कोई देनदारी निकली तो उसे विक्रेतागण अदा करने का पाबंद रहेगा, यदि क्रेता को अदा करना पड़ा तो वह विक्रेतागण से प्राप्त करने के अधिकारी होगें जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी व जवाबदारी मुख्तार आम पर भी रहेगी और इसी प्रकार यदि उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति कुल या उसका कोई भाग विक्रेतागण के स्वत्व, स्वामित्व के अभाव के कारण या किसी नुक्स मिलकीयत वैधानिक त्रुटि या कसी की दावेदारी के कारण या शासकीय अशासकीय व अर्द्धशासकीय वाद विवाद के कारण उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति क्रेता के कब्जे व दखल मालकाना से निकल जाये या उन्हें मुकददमेबाजी करना पड़े तो उसकी भी तमामतर जिम्मेदारी व जवाबदारी व संम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी विक्रेतागण व विक्रेतागण के मुख्तार आम की भी होगी और ऐसी सूरत में क्रेता अपना दिया हुआ मूल्य या उसका अंश जैसी के सूरत हो मय हानि व व्यय सहित विक्रेतागण व विक्रेता के मुख्तार आम से वसूल करने के अधिकारी होगें ।

यह कि क्रेता इस पत्र के आधार पर संबंधित कार्यालयों के अभिलेखों में अपने नाम का इन्द्राज करा लें ।

यह कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भीमसिंह विरूद्ध भारत संघ ए.आई.आर. जनवरी 1981 के पृष्ठ 234 के तहत अर्बन सीलिंग एक्ट 1976 की धारा 27

निरन्तर....6

(93) 500Rs.

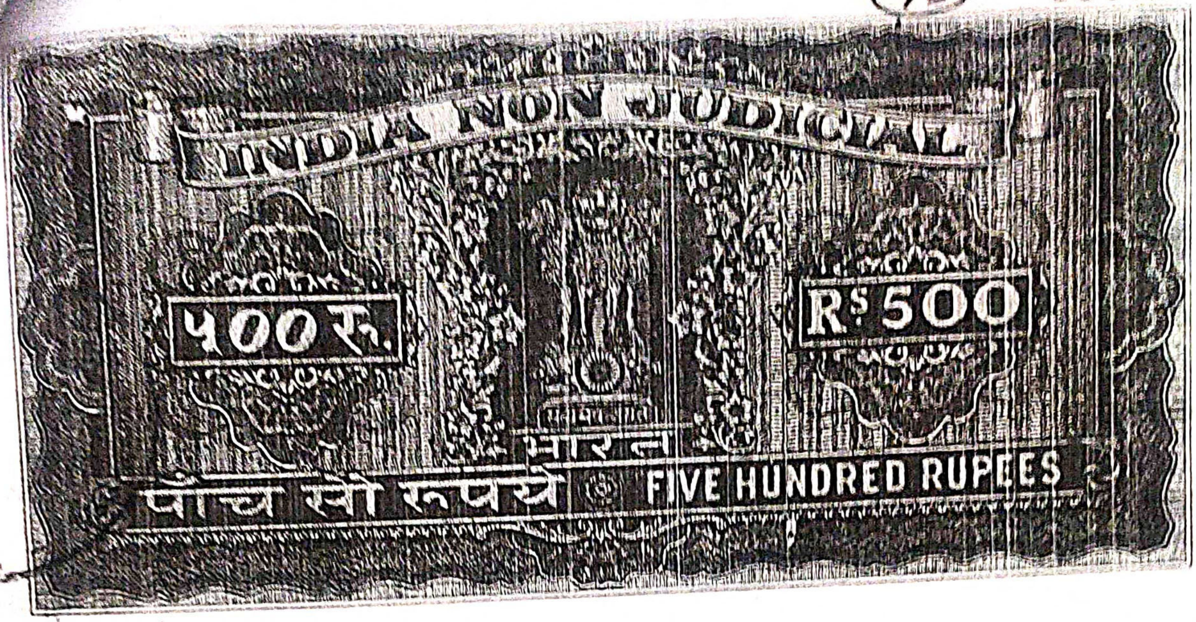

(6)

को शून्य करार दे दिया गया है और उपरोक्त सम्पत्ति का विक्रय धारा 27 के अन्तर्गत आता है जिसका घोषणा फार्म भर दिया है जो अनुमति लेने से मुक्त है ।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रय पत्र साथ राजी खुशी बिना किसी दबाव के अपने सही होश व हवास में अच्छी तरह से सुन, समझकर, लिखाकर, पढ़कर, पंजीबद्ध करा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे । इति दिनांक 30.07.1999 ई.

ड्राफ्टेड बाई मी.

Khalil ... Khan
... Advocate
Chowk ... BHOPAL
Phone-534745

हस्ताक्षर...............

नसीम

नसीमउददीन बहैसियत मुख्तार आम वास्ते आबिदनूर खाँ एवं मोहम्मद इस्माईल खाँ के.

गवाह : 1 Sanjay Jain
Sanjay Jain
S/o J.K. Jain
59 ... M.P. Nagar

गवाह : 2
S.K. ...
S/o L.L. ...
... G-9/8 Sanjay Complex

नोट:- इस दस्तावेज में कोई काट नहीं है ।

नसीम

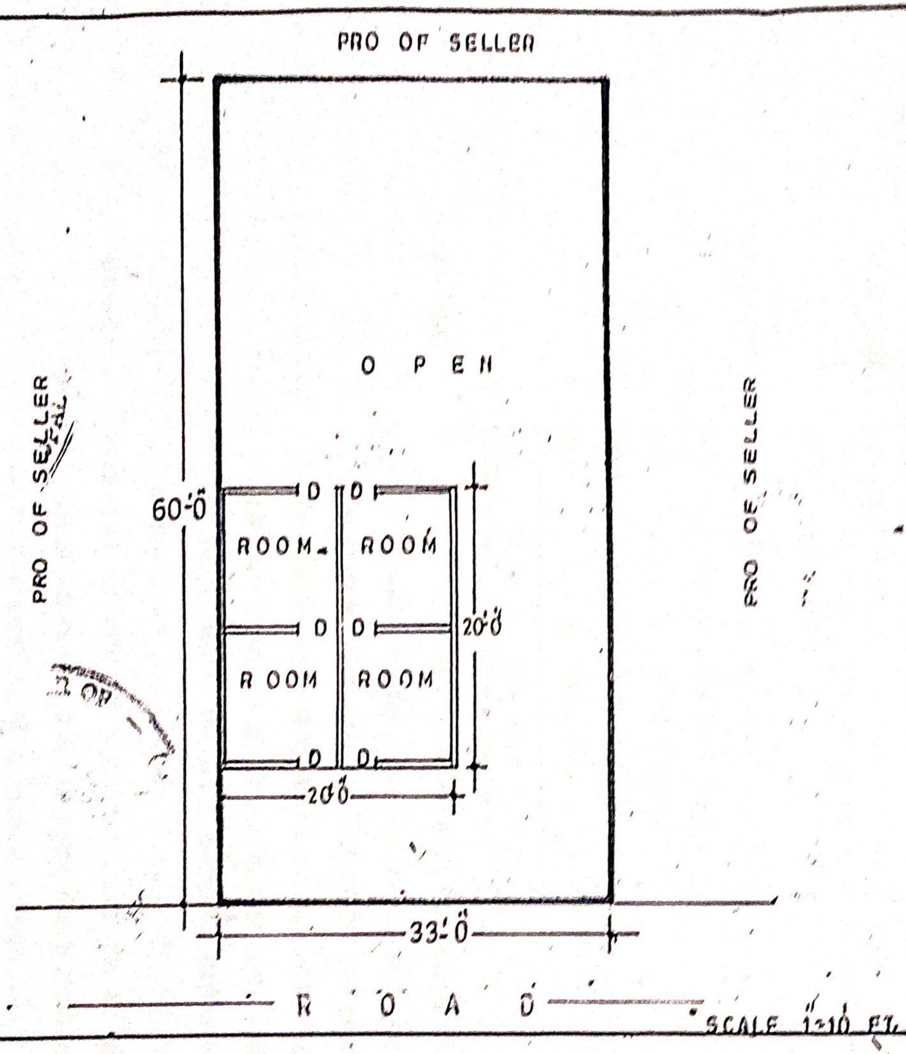

PLAN OF THE EXISTING HOUSE SITUATED AT
PART OF KH-NO-92 KARBALA ROAD, WARD NO-6
BHOPAL.

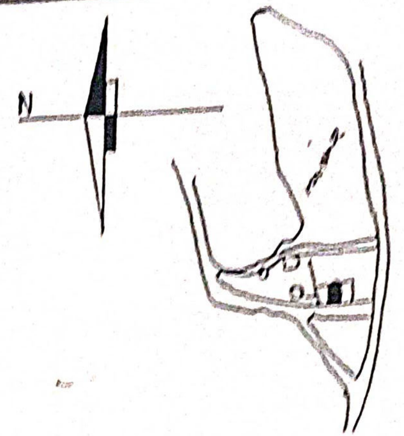

KHASRA PLAN — SCALE NTS

TOTAL AREA — 1980.00 SQFT.
BUILT UP AREA — 400.00 " "
OPEN AREA — 1580.00 " "

SELLER:
1 - ABID NOOR KHAN, S/O MR. AHMAD NOOR KHAN,
2 - MOHD ISMAIL KHAN, S/O MR MOHAMMAD KHAN,
R/O 33, NEAR GHNORI SCHOOL, RAMPHAL MASJID BPL

THROUGH G.A:
MR. NASEEM UDDIN,
S/O MR. GHAFOOR UDDIN
R/O GANDI NALA BUDHWARA, BHOPAL.

PURCHASER:
JINESH KUMAR JAIN & SONS(HUF)
MR. JINESH KUMAR JAIN S/O LATE. P.K JAIN.
R/O 59, ZONE II-MP NAGAR, BHOPAL.

[signature] SELLER SIGN		ACED

1238 1156 "ख" (119)

41 (120)

Rs.10000

1	2	3	4
	नसीमउद्दीन मुख्तार 294000/-	2502/-	—

तारीख .... 2 AUG 1999

0JAA 517844

॥ दस्तावेज विक्रय पत्र मालयती 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये ॥

॥ बाजारू मूल्य 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये ॥

अदायेगी कीमत — कुल 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये इस पत्र के पंजीयन के बाद प्राप्त होगें द्वारा चेक नम्बर 163339 दिनांक 01.10.99 ई. पंजाब नेशनल बैंक हबीबगंज भोपाल शाखा ।

स्टाम्प ड्यूटी

रूपये	15,000.00	सरकारी स्टाम्प ।
रूपये	2,000.00	नगर निगम स्टाम्प ।
रूपये	2,000.00	जनपद पंचायत स्टाम्प ।
रूपये	549.00	उपकर स्टाम्प ।
रूपये	1.00	अधिक स्टाम्प ।
रूपये	19,550.00	कुल स्टाम्प ।

नाम विक्रेता — (1) आबिद नूर खाँ (व्यस्क) आत्मज श्री अहमद नूर खाँ साहब एवं

(2) मोहम्मद ईस्माईल खाँ आयु लगभग 63 वर्ष आत्मज श्री मोहम्मद खाँ साहब निवासीगण मकान नम्बर 33 नियर गिन्नौरी गर्ल्स स्कूल रामफली मस्जिद गिन्नौरी शहर भोपाल मध्यप्रदेश । द्वारा मुख्तार आम नसीम उद्दीन आयु लगभग 40 साल आत्मज श्री गफूर उद्दीन निवासी गन्दी नाला चटाईपुरा बुधवारा शहर भोपाल मध्यप्रदेश । राष्ट्रीयता भारतीय । मुख्तार नामा आम निष्पादित दिनांक 04.04.97 ई.

नसीम

नाम क्रेता — जिनेश कुमार जैन एण्ड सन्स (एच.यू.एफ.) द्वारा कर्ता श्री जिनेश कुमार जैन (व्यस्क) आत्मज श्री पी.के.जैन साहब निवासी मकान नम्बर 59, जोन-2 महाराणा प्रताप नगर भोपाल मध्यप्रदेश । भारतीय ।

निरन्तर.....2

(118) 5000Rs.

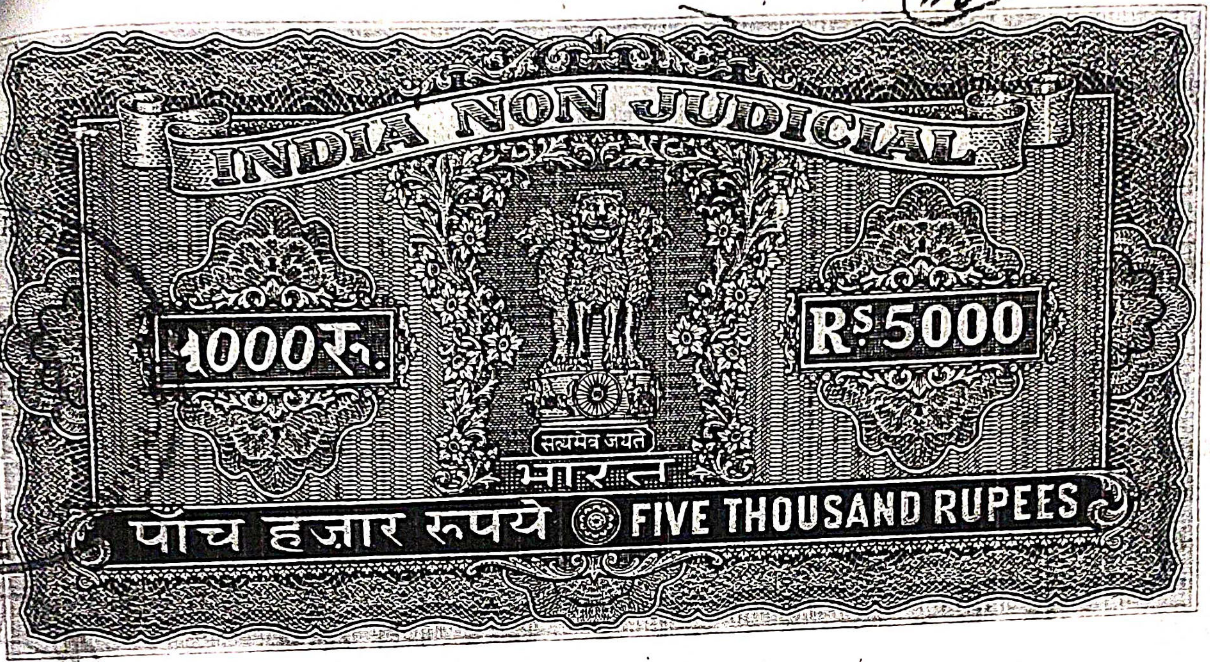

(2)

सम्पत्ति जो विक्रय की गई :-

जो कि एक किता मकान, एक मंजिला, कच्चा, सिफाला पौश ईंट, मिट्टी गारे की दीवारों का बमय सहन के काबिल मरम्मत एवं नव निर्माण करने योग्य स्थित मोहल्ला करबला रोड, करबला रोड से अन्दर, शहर भोपाल जो भोपाल नगर पालिक निगम की सीमाओं के अन्दर वार्ड नम्बर 6 (करबला रोड से अन्दर) शहर भोपाल तथा आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित चौहद्दी का स्थित है कि :-

पूरब में :: सम्पत्ति विक्रेता की इस विक्रय से अलग ।

पश्चिम में :: रास्ता आम ।

उत्तर में :: सम्प्रत्ति विक्रेता की इस विक्रय से अलग ।

दक्षिण में :: सम्पत्ति **सरवर हबीब की** ।

।। नाप ।।

पूरब में :: उत्तर से दक्षिण 34 (चौंतीस) फिट ।

पश्चिम में :: उत्तर से दक्षिण 34 (चौंतीस) फिट ।

उत्तर में :: पूरब से पश्चिम 60 (साठ) फिट ।

दक्षिण में :: पूरब से पश्चिम 60 (साठ) फिट ।

इस प्रकार उपरोक्त विक्रय मकान की कुल नाप 2040 (दो हजार चालीस) वर्गफिट है जिसमें संलग्न मानचित्रानुसार 410 (चार सौ दस) वर्गफिट का कवर्ड एरिया तथा 1630 (एक हजार छै: सौ तीस) वर्गफिट का खुला (ओपन) एरिया है । यह कि उपरोक्त विक्रय मकान को संलग्न मानचित्र में लाल रंग की लकीरों से घेरकर दर्शाया गया है जो इस पत्र का एक अंश होगा ।

निरन्तर......3

(117) 1000Rs.

(3)

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान आवासीय है तथा आवासीय क्षेत्र में स्थित है जिस पर कोई सम्पत्ति कर निर्धारित नहीं है विक्रय मकान खसरा नम्बर बानवे के भाग पर लगभग 1973 का बना हुआ है जो शकिस्ता हालत (जीर्ण, क्षीर्ण अवस्था) में काबिले मरम्मत एवं नव निर्माण करने योग्य है और उपरोक्त विक्रय मकान करबला रोड, मैन रोड से अन्दर वाके है ।

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान तथा कुल सम्पत्ति विक्रेता ने मेहरताज साजिदा सुल्तान बैगम साहिबा से विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1972 ई. खरीद की है जिसकी एन.ओ.सी. नजूल विभाग से प्रकरण क्रमांक 389/बी-121/82-83 हासिल की जा चुकी है और विक्रय मकान सन 1973 के लगभग का बना हुआ है ।

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान बमय सहन तथा उसके तले की आराजी कुल पैमाईशी 2040 वर्गफिट को इस पत्र में आगे शब्द "विक्रय सम्पत्ति" से संबोधित किया गया है ।

मसौदा

यह कि उपरोक्त विक्रय मकान तथा कुल सम्पत्ति के विक्रेतागण मालिक व काबिज व स्वामी हैं जिस पर विक्रेतागण का ही कब्जा व दखल मालकाना चला आता है जो हर प्रकार के मतालबात सरकारी व गैर सरकारी से पाक व साफ है कहीं रेहन, विक्रय, हस्तांतरण, बंधक दानादि नहीं है किसी अदालत, पंचायत, दफतर सरकारी व गैर सरकारी में किसी कानूनी असर के तहत वाद ग्रस्त नहीं है किसी के देने मेहर या जमानत आदि में बंधक व लिखी हुई नहीं है जिस पर शासकीय, अशासकीय व अर्द्धशासकीय कोई भी देनदारी नहीं है और विक्रय सम्पत्ति के संबंध में किसी भी कार्यालय, न्यायालय, पंचायत, बैंक, सोसायटी आदि में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी वाद विवाद, दावा या झगड़ा नहीं है और उपरोक्त

निरन्तर.....4

(116) 1000Rs.

(4)

विक्रय सम्पत्ति पर किसी भी बैंक, सोसायटी, संस्था, व्यक्ति शासन आदि या वित्तीय संस्था का कोई ऋण व भार भी नहीं है यह कि उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति को विक्रेतापक्ष ने किसी रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज या गैर रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज या किसी तहरीर व अनुबंध के जरये किसी को किसी भी तरह से हस्तांतरण व मुंतकल आदि नहीं की है जिसके परिवर्तन एवं हस्तांतरण आदि के सम्पूर्ण अधिकार मुझ हस्ताक्षरकर्ता को बहैसियत मुख्तार आम वास्ते विक्रेता प्राप्त हैं ।

अब उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति को मुझ हस्ताक्षरकर्ता ने विक्रेतागण के द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के आधार पर उन सभी अधिकारों तथा सुखाधिकारों सहित जो आज तक विक्रेता को प्राप्त थे मुबलिग 2,00,000.00 दो लाख रूपये के बदले क्रेता जिनेश कुमार जैन एण्ड सन्स (एच.यू.एफ.) द्वारा कर्ता श्री जिनेश कुमार जैन आत्मज स्वर्गीय श्री पी.के.जैन साहब निवासी मकान नम्बर 59, जोन 2 महाराणा प्रताप नगर भोपाल को सदैव के लिए सर्वा अधिकार सहित विक्रय कर दी याने बेंच दी और कुल कीमत 2,00,000.00 रूपये पृष्ठ एक पर लिखे अनुसार वसूल पाने के बाद अब कीमत में एक भी पैसा लेना बाकी नहीं रहा ना भविष्य में रहेगा ।

यह कि उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर उक्त क्रेता को मौके पर वाकई खाली हालत में कब्जा व दखल मालकाना (पूर्ण स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य) दे दिया है और उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर से विक्रेतागण ने अपना कब्जा व दखल मालकाना हमेशा हमेशा के लिये हटा लिया है । अब आज से उक्त क्रेता उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के मालिक व काबिज व स्वामी हो चुके हैं ।

निरन्तर....5

(115) 1000Rs.

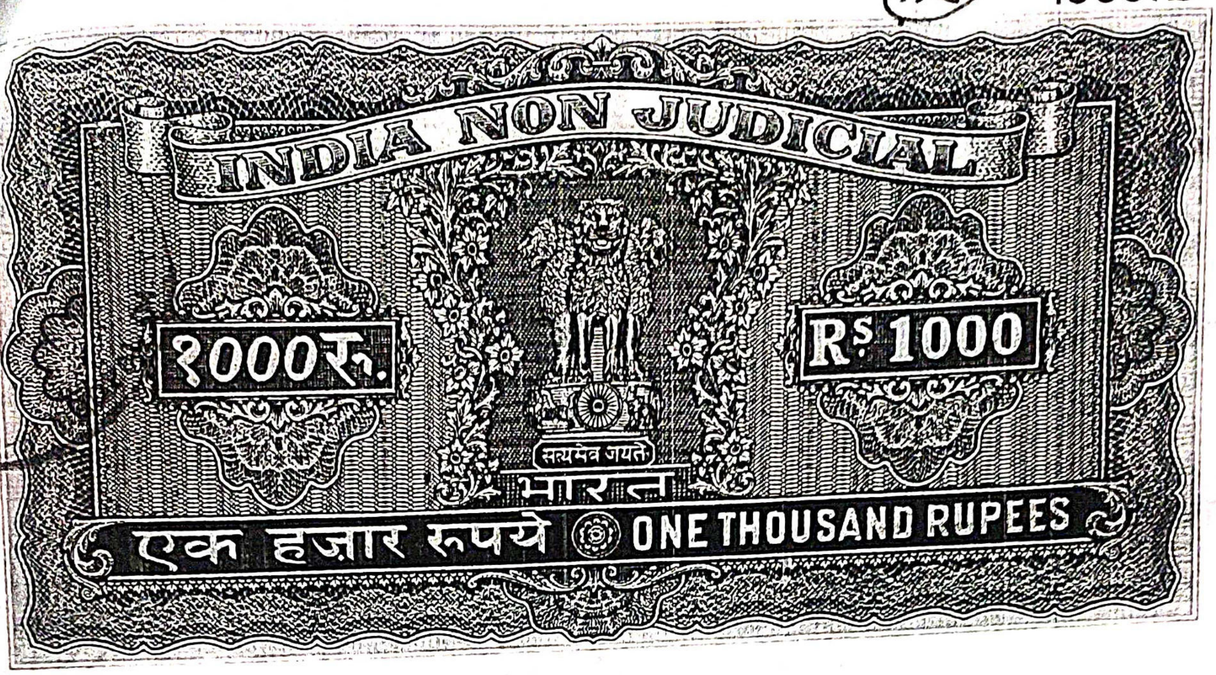

(5)

यह कि अब आज से उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति से विक्रेतागण तथा विक्रेतागण के वारसान, उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, स्थानापन्नों, संबंधियों, संतानों आदि आदि का कोई किसी प्रकार का हित संबंध वास्ता व सरोकार शेष नहीं रहा ना भविष्य में रहेगा यदि कोई वाद विवाद, दावा या झगड़ा मांग मतालबा आदि करे तो वह कतअई गलत व नाजाईज समझा जाये । यह कि उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति पर आज की तारीख से पहले के जो भी मतालबात, बकायाजात, टैक्सेज सरकारी व गैर सरकारी ऋण व भार व अन्य कोई देनदारी निकली तो उसे विक्रेतागण अदा करने का पाबंद रहेगा, यदि क्रेता को अदा करना पड़ा तो वह विक्रेतागण से प्राप्त करने के अधिकारी होगें जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी व जवाबदारी मुख मुख्तार आम पर भी रहेगी और इसी प्रकार यदि उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति कुल या उसका कोई भाग विक्रेतागण के स्वत्व, स्वामित्व के अभाव के कारण या किसी नुक्स मिलकीयत वैधानिक त्रुटि या किसी की दावेदारी के कारण या शासकीय अशासकीय व अर्द्धशासकीय वाद विवाद के कारण उपरोक्त विक्रय सम्पत्ति क्रेता के कब्जे व दखल मालकाना से निकल जाये या उन्हें मुकददमेबाजी करना पड़े तो उसकी भी तमामतर जिम्मेदारी व जवाबदारी व सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी विक्रेतागण व विक्रेतागण के मुख्तार आम की भी होगी और ऐसी सूरत में क्रेता अपना दिया हुआ मूल्य या उसका अंश जैसी के सूरत हो मय हानि व व्यय सहित विक्रेतागण व विक्रेता के मुख्तार आम से वसूल करने के अधिकारी होगें ।

यह कि क्रेता इस पत्र के आधार पर संबंधित कार्यालयों के अभिलेखों में अपने नाम का इन्द्राज करा लें ।

यह कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भीमसिंह विरूद्ध भारत संघ ए.आई.आर. जनवरी 1981 के पृष्ठ 234 के तहत अर्बन सीलिंग एक्ट 1976 की धारा 27

निरन्तर....6

(114) 1000Rs.

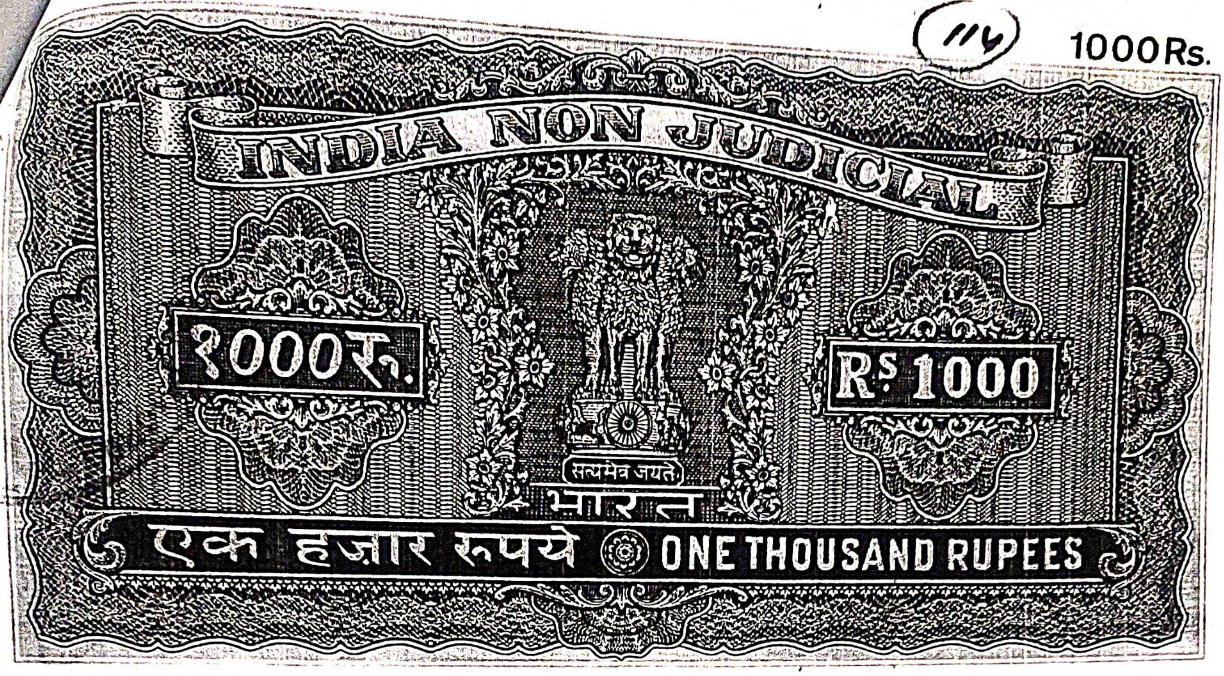

(6)

को शून्य करार दे दिया गया है और उपरोक्त सम्पत्ति का विक्रय धारा 27 के अन्तर्गत आता है जिसका घोषणा फार्म भर दिया है जो अनुमति लेने से मुक्त है ।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रय पत्र साथ राजी खुशी बिना किसी दबाव के अपने सही होश व हवास में अच्छी तरह से सुन, समझकर, लिखाकर, पढ़कर, पंजीबद्ध करा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे । इति दिनांक 2/08/1999.ई. .

ड्राफ्टेड बाई मी.

Khalil Ullah Khan
Notary & Advocate
Chowki Talaiya BHOPAL
Phone-534745

हस्ताक्षर................ नसीम

नसीमउददीन बहैसियत मुख्तार आम वास्ते आबिदनूर खॉ एवं मोहम्मद इस्माईल खॉ के.

गवाह : 1

Sanjay Jain
S/o J.C. Jain
53 Zone II M.P. Nagar

गवाह : 2

S.K. Jaiswal
S/o R.L. Jaiswal
MIG-918 Sanjay Complex.

नोट:- पृष्ठ 2 की 10 वीं पंक्ति के सुधार कर दुबारा टाईप किया गया है जो प्रमाणित है।

नसीम

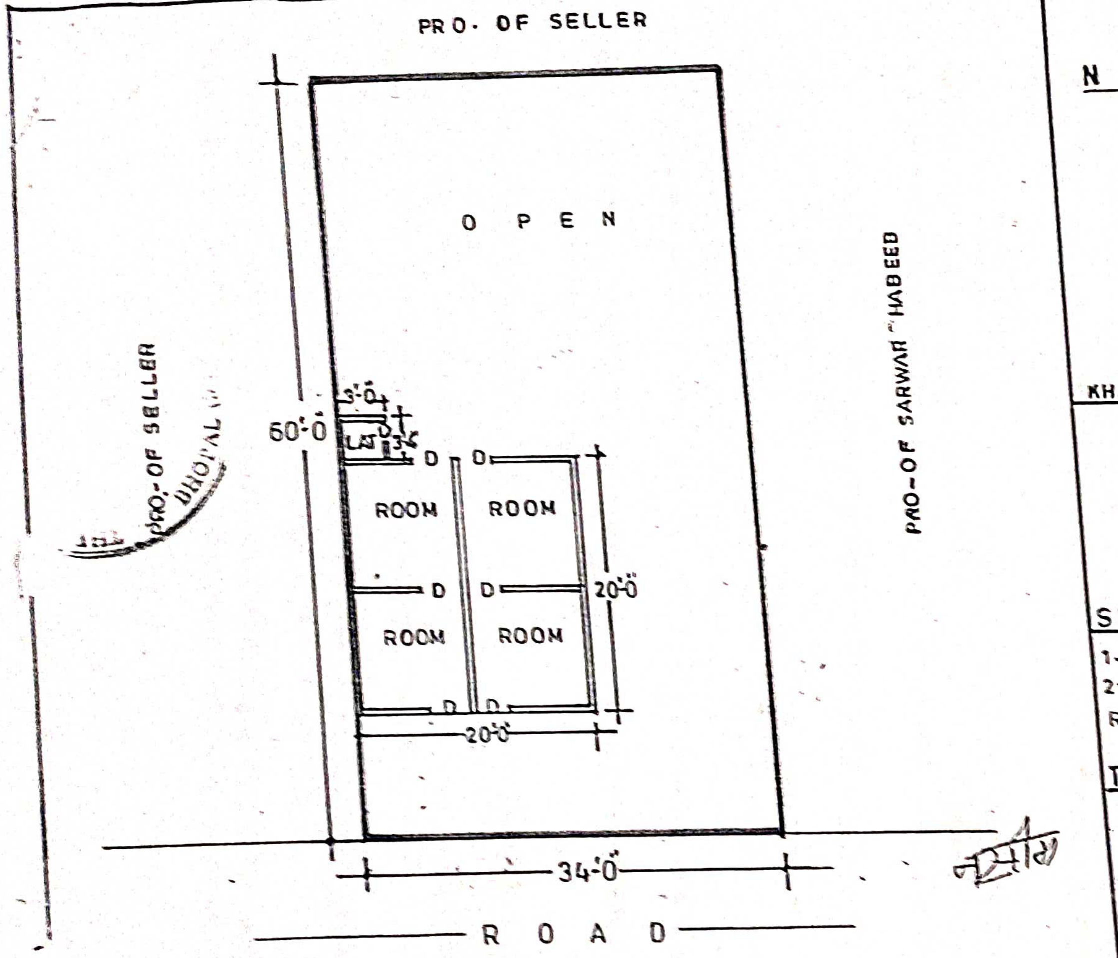

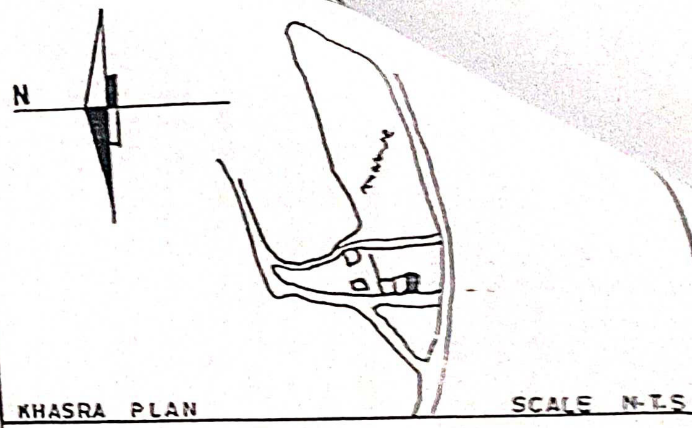

KHASRA PLAN — SCALE N.T.S

TOTAL AREA —— 2040.00 SQFT.
BUILT UP AREA —— 410.00 " "
OPEN AREA —— 1630.00 " "

SELLER :

1- ABID NOOR KHAN. S/O AHMAD NOOR KHAN-
2- MOHD ISMAIL KHAN S/O MOHAMMAD KHAN-
R/O 33, NEAR GINNORI SCHOOL, RAMPHAL MASJID, BHOPAL

THROUGH G.A :

MR. NASEEM UDDIN.
S/O MR. GHAFOOR UDDIN.
R/O GANDI NALA, BUDHWARA, BHOPAL.

PURCHASER :

JINESH KUMAR JAIN & SONS (H.U.F.)

THROUGH (KARTA)

MR. JINESH KUMAR JAIN S/O LATE, P. K JAIN.
R/O 59, ZONE II MP NAGAR, BHOPAL.

PLAN OF THE EXISTING HOUSE SITUATED AT
PART OF KH-NO-92 KARBLA ROAD, WARD NO-6
B H O P A L.

परि.-3

...कार

इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा ...(2) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (37)/86/32, भोपाल, दिनांक 22-3-93 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू ...गे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, ये म. प्र. भूमि विकास नियम, 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

4.4 विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जायेगा। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े, ऐसे संशोधनों के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एक भाग माना जावेगा।

4.4.1 विकास योजना मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गये हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधायें हेतु क्षेत्रफल तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाये गये हैं।

4.4.2 विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत् रहेंगे।

4.4.3 झुग्गी में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, उस दशा में सिर्फ तालाबों का जलग्रहण क्षेत्र एवं आमोद-प्रमोद के क्षेत्र यथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राह्य होगा।

4.4.4 विकास योजना मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा किया गया खसरा मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई, चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल को सर्वे मानचित्र जो 1 : 4000 की माप पर हो, के आधार पर नापा जाये।

4.5 परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुरूप अलग-अलग विकास नियमन/परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है। किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जावेगी। प्रथम चरण के क्षेत्र तथा ग्राम हलालपुर तथा खांनूगांव क्षेत्र जो बड़े तालाब के उत्तर दिशा में स्थित है, विकास योजना प्रस्ताव के अनुसार परिक्षेत्रिक योजना त्वरित गति से तैयार करना नितान्त आवश्यक है। उक्त प्रस्ताव किस संस्था द्वारा तैयार किया जावेगा यह राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जावेगा। परिक्षेत्रिक योजना निरंतर रूप से तैयार करने की प्रक्रिया जारी रखा जाना प्रत्यावश्यक है।

4.6 प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/ड्रेन एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा।

4.7 जिन अभिन्यासों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अथवा मध्यप्रदेश राजस्व संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत उप संचालक, भोपाल संभाग, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत की है एवं उनकी वैध समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है, उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।

4.8 अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है।

4.9 किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना में संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगा।

परि.-1

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन, मध्य प्रदेश

कचनार ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016

E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक 2887-TO/बीपीएलएलपी–5582/29/नग्रानि/भोपाल/जिका/2019 भोपाल,दिनांक 9/12/19

प्रति,

श्री संजय जैन पिता स्व.श्री जिनेश कुमार जैन,
निवासी ई–3/94, अरेरा कालोनी,
भोपाल (म. प्र.)

विषय :– ग्राम कोहेफिजा खसरा क्रमांक 92/3, कुल रकबा 0.054 हेक्टर भूमि पर गेस्ट हाउस हेतु विकास अनुज्ञा हेतु

संदर्भ :– आपका ऑन लाइन आवेदन दिनांक 17.05.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र व्दारा ग्राम कोहेफिजा खसरा क्रमांक 92/3, कुल रकबा 0.054 हेक्टर भूमि पर गेस्ट हाउस हेतु विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । उक्त भूमि का भोपाल विकास योजना 2005 अनुसार भूमि उपयोग आमोद प्रमोद के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट है ।

आपके पत्र दिनांक 27.05.2019 मे यह उल्लेख किया गया है कि आपके द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री जो कि दिनांक 30.07.1999 को पंजीकृत हुई है, जिसमें लेखानुसार वर्ष 1973 से भवन निर्मित होना उल्लेखित है। उपरोक्त से यह आशय है कि, प्रश्नाधीन भूमि भूमि विकास योजना 2005 तथा पूर्ववर्ती योजना 1975–1991 के पूर्व से स्थल पर भवन निर्मित है। अतः ऐसी दशा में भोपाल विकास योजना के अध्याय– 4 की कंडिका 4.7 जिसमें अभिलिखित है कि,

"जिन अभिन्यासों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अथवा मध्यप्रदेश राजस्व संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत उप संचालक, भोपाल संभाग, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृति की है एवं उनकी वैध समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है, उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।"

उपरोक्त के संदर्भ मे लेख है कि प्रकरण का स्वरूप पूर्व निर्मित भवन को तौडने/उसमे परिवर्तन का होने के कारण आपके व्दारा सीधे नगर निगम भोपाल मे नियमानुसार भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन किया जा सकता है ।

उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन म.प्र.

पृ.क्रं. 2888/बीपीएलएलपी–5582/29/नग्रानि/भोपाल/जिका/2019 भोपाल,दिनांक 09/12/19

प्रतिलिपिः–

मुख्य नगर निवेशक, नगर पालिका निगम, भोपाल म.प्र. की ओर कृपया नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन म.प्र.

Reject case.docx

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2017/आश्विन 4, 1939

No. 802] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2017/ASVINA 4, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1203(अ).—आर्द्रभूमि, जो जलीय चक्र का अत्यावश्यक भाग हैं, उच्चतर उत्पादक पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं जो समृद्ध जैवविविधता का आधार हैं तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भाग होने के कारण कई महत्वपूर्ण मनोरंजक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का समर्थन करते हुए जल भंडारण, जल शुद्धिकरण, बाढ़ अल्पीकरण, अपरदन नियंत्रण, भूजल का पुन:भरण, सूक्ष्म जलवायु का विनियमन, दृश्यभूमि के सौन्दर्य बौध को बढ़ाना जैसी पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करता है।

और, अधिकतर आर्द्रभूमि, अपवहन और भरणस्थान, प्रदूषण (घरेलू और औद्योगिक बहि:स्राव का निस्सारण, ठोस अपशिष्टों का निपटान), जल विज्ञान संबंधी परिवर्तन (जल अपनयन और अंतर्वाह तथा बहिवाह परिवर्तन) के माध्यम से भूमि सुधार और अवक्रमण के कारण गंभीर रूप से संकटस्थ स्थिति में हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप जैव विविधता की हानि और आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं में विघटन हुआ है;

और, संविधान के अनुच्छेद 51क के खंड (छ) में यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए एक व्यापक विधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आर्द्रभूमि और उससे जुड़े मामले भी सम्मिलित हैं।

और, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी सेवा को मान्यता दी गई है और सभी आर्द्रभूमि के लिए एक विनियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे उनकी ऐसी पारिस्थितिकी स्थिति को बनाए रखा जा सके, जो अंततोगत्वा उनके एकीकृत प्रबंध में सहायक हो;

और, भारत, आर्द्रभूमि संबंधी रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है, तथा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

और केन्द्रीय सरकार ने तारीख 4 दिसंबर, 2010 की सं.सा.का.नि. 951(अ) द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010, प्रकाशित किए हैं;

और आर्द्रभूमि का संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सारवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास आयोजना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्द्रभूमि जैवविविधता तथा पारिप्रणाली सेवाओं की पूर्ण श्रृंखला को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है;

और, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इसी प्रकार से अपने विकासात्मक कार्यक्रमों तथा आर्थिक कल्याण में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं और जैव विविधता संबंधी मूल्यों पर विचार करने और इस बात को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली के दो मुख्य पारिस्थितिकी घटक भूमि और जल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विषय के रूप में सूचीबद्ध हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने देश में आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को अधिक्रांत करना आवश्यक समझा है;

और, अब, केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, सा.का.नि. 385 (अ) तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016 का प्रारूप प्रकाशित किया था; और यह सूचना दी गई थी कि केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको इस राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

और, केन्द्रीय सरकार को प्रारूप आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016 के संबंध में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों राज्यों और इसके संगठनों, व्यक्तियों और सिविल समाज संगठनों से सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त हुए हैं;

और, ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऊपर उल्लिखित प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त हुए हैं, पर राज्य सरकारों और राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 25 और धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंध) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से यथास्थिति राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्रधिकरण, अभिप्रेत है;

(ग) "समिति" से नियम 6 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति अभिप्रेत है;

(घ) "पारिस्थितिकीय गुण" से पारिस्थितिकी प्रणाली घटकों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं का ऐसा संकलन अभिप्रेत है जो आर्द्रभूमियों की विशिष्टता चित्रित करता है;

(ङ) ''एकीकृत प्रबंधन योजना'' से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें आर्द्रभूमि का युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्यनीतियों और कार्रवाइयों का वर्णन किया गया है तथा इस योजना में स्थल प्रबंधन के उद्देश्य; उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन कार्रवाइयां, वे घटक, जो विभिन्न स्थल विशिष्टताओं को प्रभावित करते हैं, या प्रभावित कर सकते हैं; पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए और प्रबंधन की प्रभाविता के मापन के लिए अपेक्षित मानीटरी और कार्यान्वियन प्रबंधन कार्यान्वियन के लिए संसाधन सम्मिलित हैं;

(च) "रामसर अभिसमय" से 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि संबंधी अभिसमय अभिप्रेत है;

(छ) "आर्द्रभूमि से कोई क्षेत्र या कच्छ पंक, पीटभूमि या जल; प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, जल जो ठहरा है या बहते, ताजे, खारे या लवणीय, जिसके अंतर्गत समुद्री जल का जिसकी गहराई ज्वार की स्थिति छह मीटर से अधिक की न हो अभिप्रेत है, परंतु इसमें नदी जल मार्ग, धान के खेत, पेयजल प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से मानव निर्मित जल निकाय/जलाशय, मत्सयपालन, नमक उत्पादन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं;

(ज) "आर्द्रभूमि परिसर" से दो या दो से अधिक पारिस्थितिकीय और जलीय समीपस्थ आर्द्रभूमियां तथा जिनमें उनसे जुड़े नाले/वाहिकाएं सम्मिलित हो सकती हैं, अभिप्रेत हैं;

(झ) "आर्द्रभूमियों का युक्तियुक्त उपयोग" से सतत विकास के संदर्भ में पारिप्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त पारिस्थितिकीय गुणों का रख-रखाव अभिप्रेत है;

(ञ) "प्रभावित जोन" से आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमि परिसर के आवाह-क्षेत्र का वह भाग जिस पर विकासात्मक कार्यकलापों के कारण पारिप्रणाली ढांचे, तथा पारिप्रणाली सेवाओं में प्रतिकूल परिवर्तन पड़ता है।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. नियमों का लागू होना.—ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों को लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) रामसर अभिसमय के अधीन 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' के रूप में वर्गीकृत आर्द्रभूमियां;

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित आर्द्रभूमियां।

परंतु ये नियम समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, राज्य वन अधिनियम तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पड़ने वाली आर्द्रभूमियों को लागू नहीं होंगे।

4. आर्द्रभूमियों में क्रियाकलापों पर निर्बंधन.—(1) आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंध, आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित 'युक्तियुक्त उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।

(2) आर्द्रभूमि के भीतर, निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर-आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन;

(ii) किसी उद्योग को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना;

(iii) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निपटान; परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाला ई-अपशिष्ट;

(iv) ठोस अपशिष्ट का पाटन;

उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्रावों का निस्सारण;

(v) किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण सिवाय नाव घाटों के, पचास मीटर के भीतर इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ़ के औसतन उच्च स्तर से गणना की जाएगी; और

(vi) अवैध शिकार।

परंतु केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी कार्यकलाप के विलोपन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी।

5. आर्द्रभूमि प्राधिकरण.—(1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) राज्य सरकार के पर्यावरण/वन विभाग का भारसाधक मंत्री या आर्द्रभूमि के विषय से संबंधित कार्य कर रहे भारसाधक मंत्री - अध्यक्ष;

(ii) राज्य का मुख्य सचिव या समतुल्य अपर मुख्य सचिव – उपाध्यक्ष;

(iii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(iv) वन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(v) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(vi) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(vii) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(viii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(x) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(xi) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(xii) निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र – पदेन सदस्य;

(xiii) मुख्य वन्यजीव वार्डन – पदेन सदस्य;

(xiv) सदस्य सचिव, राज्य जैवविविधता बोर्ड – पदेन सदस्य;

(xv) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – पदेन सदस्य;

(xvi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक – पदेन सदस्य;

(xvii) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और

(xviii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमियों से संबंधित विभाग में अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।

(2) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या मुख्य सचिव – अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव – उपाध्यक्ष;

(iii) वन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(iv) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(v) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(vi) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(vii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(ix) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(x) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(xi) निदेशक, सुदूर संवेदी केन्द्र - पदेन सदस्य;

(xii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति - पदेन सदस्य;

(xiii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड - पदेन सदस्य;

(xiv) मुख्य वन्यजीव वार्डन - पदेन सदस्य;

(xv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - पदेन सदस्य;

(xvi) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल-विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों से एक-एक विशेषज्ञ जिसे संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और

(xvii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमि हथालन विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।

(3) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, तीन से अधिक, यदि अपेक्षित हों, अन्य सदस्यों, का सह-चयन, कर सकेंगे।

(4) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना;

(ख) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना; अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार/अधिसूचित आर्द्रभूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना;

(ग) इन नियमों के अधीन विनियमन हेतु उनके संक्षिप्त दस्तावेज़ों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना;

(घ) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिज़ीटल सूची तैयार करना और उक्त प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित की जाने वाले डेडीकेटिड बेब पोर्टल पर इसे अपलोड करना; और इस सूची को प्रत्येक दस वर्ष में अद्यतन किया जाएगा;

(ङ) अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तृत सूची विकसित करना;

(च) विनिर्दिष्ट आर्द्रभूमियों के लिए प्रतिषिद्ध कार्यकलापों की सूची में बढ़ोतरी, यदि कोई हो, की सिफारिश करना;

(छ) आर्द्रभूमियों की अधिकारिता के भीतर उनके संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्यनीतियां पारिभाषित करना; यदि पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों (जल भण्डारण, भू-जल संभरण, बाढ़-प्रतिरोधक जैसे) और मूल्य (मनोरंजन और सांस्कृतिक जैसे) का अनुरक्षण किया जाता है या उसमें अभिवृद्धि की जाती है; तो इन पारिस्थितिक प्रणाली को प्रबंधित करने के लिए एक सिद्धांत, जो संरक्षण के साथ संगत वहनीय उपयोगों को समावेशित करता है (जैसे जीवन-निर्वाह स्तर हेतु मछली पकड़ना या जलीय वनस्पति की पैदावार करना) का विवेकपूर्ण उपयोग करना;

(ज) प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन करना (केन्द्रीय सरकार के समन्वयन से सीमा-पारीय आर्द्रभूमियों सहित), और इन योजनाओं के भीतर आर्द्रभूमियों, जो पारिस्थितिकीय स्वरूप के अनुकूल हैं, के पारम्परिक उपयोगों को जारी रखना और उसमें समर्थन देने पर विचार करना;

(झ) उन मामलों में, जहां अधिसूचित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों की सीमा के भीतर भूमि क्षेत्र का निजी भू-धारण अधिकार है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्वरूप को बनाये रखने के लिए कार्यतंत्रों हेतु सिफारिश करना;

(ञ) विद्यमान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के अभिसरण के लिए कार्यतंत्रों की पहचान करना;

(ट) इन नियमों और अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और अर्द्ध-वार्षिक आधार पर (प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के जून और दिसम्बर पर) एक सूचना तंत्र के माध्यम से ऐसी अधिसूचित आर्द्रभूमियों की स्थिति पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केन्द्रीय सरकार को सूचना देना;

(ठ) विभिन्न संगत विभागों और अन्य संबंधित अभिकरणों के माध्यम से युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वयन करना;

(ड) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के भीतर सभी आर्द्रभूमि विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;

(ढ) संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निदेश जारी करना;

(ण) आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में पणधारियों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता के संवर्धन हेतु उपाय करना; और

(त) स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य मामले पर सलाह देना।

(5) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का संबंधित विभाग, प्राधिकरण के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा।

(6) प्राधिकरण, इन नियमों के प्रकाशन के नब्बे दिन के भीतर :

(क) संक्षिप्त दस्तावेज़ों और प्रबंध योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने के लिए एक तकनीकी समिति का, और

(ख) जनता द्वारा प्राधिकरण को की गईं शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रेषित करने के लिए एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराने हेतु चार सदस्यों से मिलकर बनी एक शिकायत समिति का गठन करेगा।

(7) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट समितियां अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेंगी ।

(8) प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी।

(9) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर-अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष की अवधि का होगा।

6. **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन.—**(1) केन्द्रीय सरकार, एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष;

(ii) आर्द्रभूमि संबंधी कार्य देख रहे विशेष सचिव या अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – उपाध्यक्ष;

(iii) अपर महानिदेशक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;

(iv) आर्द्रभूमियों संबंधी कार्य देख रहे सलाहकार या संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – पदेन सदस्य;

(v) संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;

(vi) संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;

(vii) संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;

(viii) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार – पदेन सदस्य;

(ix) संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य;

(x) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य;

(xi) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - पदेन सदस्य;

(xii) निदेशक, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;

(xiii) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;

(xiv) निदेशक, अंतरिक्ष अनुप्रयुक्ति केंद्र, अहमदाबाद या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;

(xv) सदस्य केन्द्रीय जल आयोग - पदेन सदस्य;

(xvi) सलाहकार, नीति आयोग - पदेन सदस्य;

(xvii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के तीन प्रतिनिधि, चक्रानुक्रम आधार पर, प्रत्येक दो वर्ष के कार्यकाल के लिए;

(xviii) आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी क्षेत्र, भू-दृश्य योजना और सामाजिक अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में से प्रत्येक का एक-एक विशेषज्ञ; और

(xix) आर्द्रभूमि से संबंधित कार्य करने वाले निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य सचिव।

(2) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति, यदि अपेक्षित हो, तीन से अनधिक अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी।

(3) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—

(क) आर्द्रभूमियों के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए समुचित नीतियों और कार्रवाई सम्बन्धी कार्यक्रमों के विषय में केंद्रीय सरकार को सलाह देना;

(ख) आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंधन के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के सिद्धान्त पर आधारित मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना;

(ग) प्राधिकरण द्वारा इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना;

(घ) नियम 4 के उप नियम (2) में यथानिर्दिष्ट प्रतिषेधित क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्तावों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(ड.) रामसर अभिसमय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को अभिहित किये जाने की सिफारिश करना;

(च) अधिसूचित किये जाने के लिए सीमापार आर्द्रभूमियों की सिफारिश करना;

(छ) रामसर स्थलों और सीमापार आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंध की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;

(ज) आर्द्रभूमियों से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के समन्वय के संबंध में सलाह देना; और

(झ) किसी अन्य मामले पर स्वप्रेरणा से सलाह देना या केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट करना।

(4) समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को कार्यकाल तीन वर्ष से अनधिक का नहीं होगा।

(5) समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

7. **राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन.—**(1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का सम्बद्ध विभाग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचित किये जाने हेतु अभिज्ञात प्रत्येक आर्द्रभूमि के लिए एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उपबंध होगा:—

(क) निर्देशांकों सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमि का सीमांकन;

(ख) इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में संकेतित उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र;

(ग) पारिस्थितिक-स्वरूप का विवरण;

(घ) पूर्वत: विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा;

(ड.) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्त स्थल-विशिष्ट क्रियाकलाप की सूची;

(च) आर्द्रभूमि और उसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल-विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची; और

(छ) विनियमों के प्रवर्तन की रीति;

(2) प्राधिकरण, संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को सिफारिश करेगा।

(3) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की गयी सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर राजपत्र में आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करेगी।

(4) (क) केन्द्रीय सरकार सीमा-पार आर्द्रभूमियों के मामले में, संक्षिप्त दस्तावेज, जिसमें उप-नियम (1) में यथा सूचीबद्ध सूचना दी गई हो, को तैयार करने में संबद्ध राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी।

(ख) संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी।

(ग) केन्द्रीय सरकार संबद्ध और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर आर्द्रभूमियों को राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

(5) (क) केंद्रीय सरकार आर्द्रभूमियों से संबंधित सूचना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का सृजन करेगी।

(ख) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी अधिकारिता में की आर्द्रभूमियों के विषय में, सभी संबंधित सूचना अपलोड करेगी।

[फा. सं. जे-22012/78/2003-सीएस(डब्ल्यू) पार्ट.V]

डॉ. ए. दुरैसामी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2017

G.S.R. 1203(E).—Whereas the wetlands, vital parts of the hydrological cycle, are highly productive ecosystems which support rich biodiversity and provide a wide range of ecosystem services such as water storage, water purification, flood mitigation, erosion control, aquifer recharge, microclimate regulation, aesthetic enhancement of landscapes while simultaneously supporting many significant recreational, social and cultural activities, being part of our rich cultural heritage;

And whereas many wetlands are threatened by reclamation and degradation through drainage and landfill, pollution (discharge of domestic and industrial effluents, disposal of solid wastes), hydrological alteration (water withdrawal and changes in inflow and outflow), over-exploitation of their natural resources resulting in loss of biodiversity and disruption in ecosystem services provided by wetlands;

And whereas clause (g) of article 51A of the Constitution stipulates that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures;

And whereas the Environment (Protection) Act, 1986 is a comprehensive legislation to provide protection and improvement of the environment, including *inter-alia*, wetlands, and for matters connected therewith;

And whereas the National Environment Policy, 2006 recognises the ecosystem services provided by wetlands and emphasizes the need to set up a regulatory mechanism for all wetlands so as to maintain their ecological character, and ultimately support their integrated management;

And whereas India is a signatory to the Ramsar Convention on Wetlands and is committed to conservation and wise use of all wetlands within its territory;

And whereas the Central Government has published the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, vide number G.S.R. 951(E), dated the 4th December, 2010;

And whereas conservation and wise use of wetlands can provide substantial direct and indirect economic benefits to state and national economy, and thereby the Central Government stands committed to mainstreaming full range of wetland biodiversity and ecosystem services in development planning and decision making for various sectors;

And whereas the State Governments and Union Territory Administrations need to take into account wetland ecosystem services and biodiversity values likewise within their developmental programming and economic well-being, also taking into cognizance that land and water, two major ecological constituents of wetland ecosystems, are enlisted as State subjects as per the Constitution;

And whereas the Central Government considered it necessary to supersede the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 for effective conservation and management of wetlands in the country;

And whereas the Central Government had, in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, published the draft Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016, vide number G.S.R. 385 (E) dated 31st March, 2016 for information of the public likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette notification is made available to the public;

And whereas the Central Government has received the suggestions and objections from the State Governments, Union Territories and its organisations, individuals and civil society organisations on the draft Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016;

And whereas the suggestions and objections received in response to the above mentioned draft rules have been duly considered by the Central Government in consultation with State Governments and Union Territory Administrations.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 and section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in supersession of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for conservation and management of wetlands, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

(2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986;

(b) "Authority" means the State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority, as the case may be;

(c) "Committee" means the National Wetlands Committee referred to in rule 6;

(d) "ecological character" means the sum of ecosystem components, processes and services that characterise the wetlands;

(e) "integrated management plan" means a document which describes strategies and actions for achieving wise use of the wetland and the plan shall include objectives of site management; management actions required to achieve the objectives; factors that affect, or may affect, the various site features; monitoring requirements for detecting changes in ecological character and for measuring the effectiveness of management; and resources for management implementation;

(f) "Ramsar Convention" means the Convention on Wetlands signed at Ramsar, Iran in 1971;

(g) "wetland" means an area of marsh, fen, peatland or water; whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters, but does not include river channels, paddy fields, human-made water bodies/tanks specifically constructed for drinking water purposes and structures specifically constructed for aquaculture, salt production, recreation and irrigation purposes;

(h) "wetlands complexes" means two or more ecologically and hydrologically contiguous wetlands and may include their connecting channels/ducts;

(i) "wise use of wetlands" means maintenance of their ecological character, achieved through implementation of ecosystem approach within the context of sustainable development;

(j) "zone of influence" means that part of the catchment area of the wetland or wetland complex, developmental activities in which induce adverse changes in ecosystem structure, and ecosystem services.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Applicability of rules.—**These rules shall apply to the following wetlands or wetlands complexes, namely:—

(a) wetlands categorised as 'wetlands of international importance' under the Ramsar Convention;

(b) wetlands as notified by the Central Government, State Government and Union Territory Administration:

Provided that these rules shall not apply to the wetlands falling in areas covered under the Indian Forest Act, 1927, the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Forest (Conservation) Act, 1980, the State Forest Acts, and the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 as amended from time to time.

4. **Restrictions of activities in wetlands.—**(1) The wetlands shall be conserved and managed in accordance with the principle of 'wise use' as determined by the Wetlands Authority.

(2) The following activities shall be prohibited within the wetlands, namely,-

(i) conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;

(ii) setting up of any industry and expansion of existing industries;

(iii) manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms Genetically engineered organisms or cells, 1989 or the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008; electronic waste covered under the E-Waste (Management) Rules, 2016;

(iv) solid waste dumping;

(v) discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities, towns, villages and other human settlements;

(vi) any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules; and,

(vii) poaching.

Provided that the Central Government may consider proposals from the State Government or Union Territory Administration for omitting any of the activities on the recommendation of the Authority.

5. **Wetlands Authorities.—**(1) The Central Government hereby constitutes the State Wetlands Authority in each State with the following members, namely:—

(i) Minister In-charge of the Department of Environment/Forests of the State Government or Minister In-charge of the Department handling wetlands - Chairperson;

(ii) Chief Secretary of the State or Additional Chief Secretary equivalent - Vice Chairperson;

(iii) Secretary in-charge of the Department of Environment - Member *ex-officio*;

(iv) Secretary in-charge of the Department of Forests - Member *ex-officio*;

(v) Secretary in-charge of the Department of Urban Development - Member *ex-officio*;

(vi) Secretary in-charge of the Department of Rural Development - Member *ex-officio*;

(vii) Secretary in-charge of the Department of Water Resources - Member *ex-officio*;

(viii) Secretary in-charge of the Department of Fisheries - Member *ex-officio*;

(ix) Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control - Member *ex-officio*;

(x) Secretary in-charge of the Department of Tourism - Member *ex-officio*;

(xi) Secretary in-charge of the Department of Revenue - Member *ex-officio*;

(xii) Director, State Remote Sensing Centre - Member *ex-officio*;

(xiii) Chief Wildlife Warden - Member *ex-officio*;

(xiv) Member Secretary, State Biodiversity Board - Member *ex-officio*;

(xv) Member Secretary, State Pollution Control Board - Member *ex-officio*;

(xvi) Additional Principal Chief Conservator of Forests of the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member *ex-officio*;

(xvii) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning and socio-economics to be nominated by the State Government; and

(xviii) Additional Secretary/Joint Secretary/Director in the Department of Environment/Forests or Department handling wetlands - Member Secretary.

(2) The Central Government hereby constitutes the Union Territory Wetlands Authority for each Union Territory with the following members, namely:—

(i) Administrator or Chief Secretary of the Union Territory - Chairperson;

(ii) Secretary in-charge of the Department of Environment - Vice Chairperson;

(iii) Secretary in-charge of the Department of Forests - Member *ex-officio*;

(iv) Secretary in-charge of the Department of Urban Development - Member *ex-officio*;

(v) Secretary in-charge of the Department of Rural Development - Member *ex-officio*;

(vi) Secretary in-charge of the Department of Water Resources - Member *ex-officio*;

(vii) Secretary in-charge of the Department of Fisheries - Member *ex-officio*;

(viii) Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control - Member *ex-officio*;

(ix) Secretary in-charge of the Department of Tourism - Member *ex-officio*;

(x) Secretary in-charge of the Departments of Revenue - Member *ex-officio*;

(xi) Director, Remote Sensing Centre - Member *ex-officio;*

(xii) Member Secretary, Union Territory Pollution Control Committee - Member *ex-officio*;

(xiii) Member Secretary, Biodiversity Board of the UT - Member *ex-officio*;

(xiv) Chief Wildlife Warden - Member *ex-officio*;

(xv) Additional Principal Chief Conservator of Forests of the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change- Member *ex-officio*;

(xvi) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning and socio-economics to be nominated by the Union Territory Administration; and

(xvii) Additional Secretary/Joint Secretary/Director in the Department of Environment/Forests or Department handling wetlands - Member Secretary.

(3) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.

(4) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

(a) prepare a list of all wetlands of the State or Union Territory within three months from the date of publication of these rules;

(b) prepare a list of wetlands to be notified, within six months from the date of publication of these rules; taking into cognizance any existing list of wetlands prepared/notified under other relevant State Acts;

(c) recommend identified wetlands, based on their Brief Documents, for regulation under these rules;

(d) prepare a comprehensive digital inventory of all wetlands within a period of one year from the date of publication of these rules and upload the same on a dedicated web portal to be developed by the Central Government for the said purpose; the inventory to be updated every ten years;

(e) develop a comprehensive list of activities to be regulated and permitted within the notified wetlands and their zone of influence;

(f) recommend additions, if any, to the list of prohibited activities for specific wetlands;

(g) define strategies for conservation and wise use of wetlands within their jurisdiction; wise use being a principle for managing these ecosystems which incorporates sustainable uses (such as capture fisheries at subsistence level or harvest of aquatic plants) as being compatible with conservation, if ecosystem functions (such as water storage, groundwater recharge, flood buffering) and values (such as recreation and cultural) are maintained or enhanced;

(h) review integrated management plan for each of the notified wetlands (including trans-boundary wetlands in coordination with Central Government), and within these plans consider continuation and support to traditional uses of wetlands which are harmonized with ecological character;

(i) in cases wherein lands within boundary of notified wetlands or wetlands complex have private tenancy rights, recommend mechanisms for maintenance of ecological character through promotional activities;

(j) identify mechanisms for convergence of implementation of the management plan with the existing State/Union Territory level development plans and programmes;

(k) ensure enforcement of these rules and other relevant Acts, rules and regulations and on half-yearly basis (June and December of each calendar year) inform the concerned State Government or Union Territory Administration or Central Government on the status of such notified wetlands through a reporting mechanism;

(l) coordinate implementation of integrated management plans based on wise use principle through various line departments and other concerned agencies;

(m) function as nodal authority for all wetland specific authorities within the State or Union Territory Administration;

(n) issue necessary directions for conservation and sustainable management of wetlands to the respective implementing agencies;

(o) undertake measures for enhancing awareness within stakeholders and local communities on values and functions of wetlands; and

(p) Advise on any other matter *suo-motu*, or as referred by the State Government/Union Territory Administration.

(5) The concerned Department of the State Government or Union Territory shall provide all necessary support and act as nodal Department and Secretariat to the Authority.

(6) The Authority shall, within ninety days of publication of these rules, shall constitute,—

(a) a technical committee to review brief documents, management plans and advise on any technical matter referred by the Wetland Authority; and

(b) a grievance committee consisting of four members to provide a mechanism for hearing and forwarding the grievances raised by public to the Authority;

(7) The Committees referred to in sub-rule (6) shall meet at least once in every quarter to perform their functions.

(8) The Authority shall meet at least thrice in a year.

(9) The term of non-official members of the Authority nominated by State Government or Union Territory Administration, shall be for a period not exceeding three years.

6. Constitution of National Wetlands Committee.—(1) The Central Government, hereby constitutes the National Wetlands Committee with the following members, namely:—

(i) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Chairperson;

(ii) Special Secretary or Additional Secretary dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India-Vice Chairperson;

(iii) Additional Director General, Wildlife, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Member *ex-officio*;

(iv) Adviser or Joint Secretary dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member *ex-officio*;

(v) Joint Secretary, Ministry of Tourism, Government of India- Member *ex-officio*;

(vi) Joint Secretary , Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India- Member *ex-officio*;

(vii) Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India- Member *ex-officio*;

(viii) Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India- Member *ex-officio*;

(ix) Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India- Member *ex-officio*;

(x) Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India- Member *ex-officio*;

(xi) The Chairman, Central Pollution Control Board - Member *ex-officio*;

(xii) Director, Zoological Survey of India or Scientist F- Member *ex-officio*;

(xiii) Director, Botanical Survey of India or Scientist F- Member *ex-officio*;

(xiv) Director, Space Application Centre, Ahmedabad or Scientist F- Member *ex-officio*;

(xv) Member, Central Water Commission - Member *ex-officio*;

(xvi) Adviser, Niti Aayog - Member *ex-officio*;

(xvii) Three representatives of State Government or Union Territory Administration on a rotational basis for a tenure of two years each;

(xviii) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning & socio-economics; and

(xix) Director/Additional Director/Joint Director dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member Secretary.

(2) The National Wetlands Committee may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.

(3) The National Wetlands Committee shall perform the following functions, namely:-

(a) advise the Central Government on appropriate policies and action programmes for conservation and wise use of wetlands;

(b) evolve norms and guidelines for integrated management of wetlands based on wise use principle;

(c) monitor implementation of these rules by the Authority;

(d) advise the Central Government on proposals received from State Governments or Union Territory Administrations for omission of the prohibited activities as referred in sub-rule (2) of rule 4;

(e) recommend designation of wetlands of international importance under Ramsar Convention;

(f) recommend trans-boundary wetlands for notification;

(g) review progress of integrated management of Ramsar sites and transboundary wetlands;

(h) advise on collaboration with international agencies on issues related to wetlands; and

(i) advise on any other matter *suo-moto*, or as referred by the Central Government.

(4) The tenure of non-official members of the Committee shall not exceed three years.

(5) The Committee shall meet at least once in every six months.

7. Delegation of powers and functions to the State Governments and Union Territory Administrations.— (1) The concerned Department of the State Government or Union Territory Administration shall, within a period of one year from the date of publication of these rules, prepare a Brief Document for each of the wetland identified for notification, providing:—

(a) demarcation of wetland boundary supported by accurate digital maps with coordinates and validated by ground truthing;

(b) demarcation of its zone of influence and land use and land cover thereof indicated in a digital map;

(c) ecological character description;

(d) account of pre-existing rights and privileges;

(e) list of site-specific activities to be permitted within the wetland and its zone of influence;

(f) list of site specific activities to be regulated within the wetland and its zone of influence; and

(g) modalities for enforcement of regulation;

(2) Based on the Brief Document, the Authority shall make recommendations to the State Government or Union Territory Administration for notifying the wetlands.

(3) The State Government or Union Territory Administration shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette, within a period not exceeding 240 days from the date of recommendation by the Authority.

(4) (a) In case of trans-boundary wetlands, the Central Government shall coordinate with concerned State Governments and Union Territory Administrations to prepare the Brief Document containing information as listed in sub-rule (1).

(b) Based on the Brief Document, the National Wetlands Committee shall make recommendations to the Central Government for notification of the wetland.

(c) The Central Government shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette, within a period not exceeding 240 days from the date of recommendation by the Committee.

(5) (a) The Central Government shall create a dedicated web portal for information relating to wetlands.

(b) The Central Government, State Government and Union Territory Administration shall upload all relevant information and documents pertaining to wetlands in their jurisdiction.

[F. No. J-22012/78/2003-CS (W) Pt. V]

Dr. A. DURAISAMY, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.09.26 22:25:31 +05'30'